



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022026-270424
CG-DL-E-24022026-270424

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 23, 2026/फाल्गुन 4, 1947

No. 36]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 23, 2026/PHALGUNA 4, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

अंतिम निष्कर्ष

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2026

मामला सं.-एडी (ओआई)-43/2024

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मोनोइसोप्रोपाइलामाइन" (एमआईपीए) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 6/46/2024-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

- मैसर्स अल्काइल एमाइन्स केमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद इसे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) से 'मोनोइसोप्रोपाइलामाइन' (एमआईपीए) (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष आवेदन-पत्र दायर किया।

2. और जबकि, आवेदक द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र को देखते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित जांच की शुरुआत की अधिसूचना फा. सं. 6/46/2024-डीजीटीआर, दिनांक 30 दिसंबर, 2024 द्वारा जारी की।

क. प्रक्रिया

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- I. नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पहले, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।
- II. नियमावली के नियम 6 के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 30 दिसंबर 2024 की अधिसूचना सं. 6/46/2024-डीजीटीआर जारी की।
- III. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 (12 महीने) है। वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच की अवधि अप्रैल 2020 से मार्च 2021, अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से जून 2023 और जांच की अवधि है।
- IV. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेनदेन-वार विवरण उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) और डीजी-सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और लेनदेन की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े पर विश्वास किया गया है।
- V. नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पत्तों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी।
- VI. नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- VII. नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, प्राधिकारी ने निर्यातक प्रश्नावली संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी।
- VIII. प्राधिकारी ने भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार को प्रश्नावली भेजी। संबद्ध देश की सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरुआत अधिसूचना और प्रश्नावली भेजें और उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- IX. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:
 - 1 मैसर्स अनहुई हाओयुआन केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - 2 मैसर्स ताइझोऊ जियान्ये केमिकल कंपनी लिमिटेड
 - 3 मैसर्स झेजियांग शिन्हूआ केमिकल कंपनी लिमिटेड
- X. जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में, मैसर्स अनहुई हाओयुआन केमिकल ग्रुप कं, लिमिटेड ने जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में खुद को पंजीकृत किया।
- XI. इसके बाद, मैसर्स अनहुई हाओयुआन केमिकल ग्रुप कं. लिमिटेड ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपना पंजीकरण वापस ले लिया और निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया। तदनुसार, उन्हें वर्तमान जांच में असहयोगी माना जाता है।

XII. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों को नियावली के नियम 6(4) और (5) के अनुसार आवश्यक सूचना के लिए आयातकों और प्रयोक्ताओं की प्रश्नावली भेजी।

- 1 मैसर्स एग्रो लाइफ साइंस कॉर्पोरेशन
- 2 मैसर्स एग्रो एलाइड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
- 3 मैसर्स अमरी इंडिया प्रा. लि.
- 4 मैसर्स अतुल लिमिटेड
- 5 मैसर्स चेमो इंडिया
- 6 मैसर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल लि.
- 7 मैसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन प्रा. लि.
- 8 मैसर्स सीटीएक्स लाइफ साइंसेज प्रा. लि.
- 9 मैसर्स एक्सेल क्रॉप केयर लि.
- 10 मैसर्स फ्लेमिंग लैबोरेटरीज लि.
- 11 मैसर्स हेरनबा इंडस्ट्रीज लि.
- 12 मैसर्स एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
- 13 मैसर्स इंसेक्रिसाइड्स इंडिया लि.
- 14 मैसर्स आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड
- 15 मैसर्स जय श्री रसायन उद्योग लि.
- 16 मैसर्स के रसिकलाल एक्जिम प्रा. लि.
- 17 मैसर्स केतन केमिकल कॉर्पोरेशन
- 18 मैसर्स कोप्रान रिसर्च लैबोरेटरीज
- 19 मैसर्स कृष्णा सॉल्वकेम लि.
- 20 मैसर्स लक्ष्मी सरस केम टेक प्रा. लि.
- 21 मैसर्स लियो केमप्लास्ट प्रा. लि.
- 22 मैसर्स मल्लादी ड्रग एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
- 23 मैसर्स मेडी फार्मा ड्रग हाउस
- 24 मैसर्स मेघमणि ऑर्गेनिक्स लि.
- 25 मैसर्स न्यूट्रॉन फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.
- 26 मैसर्स ओसी स्पेशलिटीज प्रा. लि.
- 27 मैसर्स ओरियन केम प्रा. लि.
- 28 मैसर्स पॉलीड्रग लैबोरेटरीज प्रा. लि.
- 29 मैसर्स रत्नाचंद एंड कंपनी
- 30 मैसर्स सांग्रोस लैबोरेटरीज प्रा. लि.
- 31 मैसर्स टीएएससी केमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
- 32 मैसर्स वेदांत लाइफ साइंसेज प्रा. लि.
- 33 मैसर्स वीनस इंटरनेशनल

- xiii. जांच शुरुआत अधिसूचना के उत्तर में, केवल मैसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड ने जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में खुद को पंजीकृत किया।
- xiv. जांच शुरुआत अधिसूचना और आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) की एक प्रति ज्ञात एसोसिएशनों को भेजी गई थी।
- xv. प्राधिकारी ने व्यापक अर्थव्यवस्था पर कर्तव्यों के प्रभाव और सार्वजनिक हित का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के साथ भी साझा किया गया था। तथापि, केवल घरेलू उद्योग ने ईआईक्यू प्रस्तुत की है, और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इसे दायर नहीं किया है।

- xvi. निर्धारित समय सीमा के भीतर खुद को पंजीकृत करने वाले सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ-साथ प्राधिकारी के साथ वर्तमान कार्यवाही में अपने सभी अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर परिचालित करें।
- xvii. प्राधिकारी ने रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग से प्राप्त का.जा.संख्या सी-II-13012/8/2025-सीएचईएम टीईसीएच-सीपीसी दिनांक 24.06.2025 को नोट किया है, जो संबंधित मंत्रालय/ विभाग द्वारा आयोजित हितधारक परामर्श को रिकॉर्ड करता है। उक्त का.जा. में प्रमुख अनुरोधों का सार है, जिसमें बड़े हुए आयातों से क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा और कीमत अंतर के कारण के संबंध में पेस्टिसाइड मैनुफैक्चरर्स एंड फॉर्म्युलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएमएफएआई) का तर्क और निचले स्तर के कृषि-रसायन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता पर शुल्क लगाने के संभावित प्रतिकूल प्रभाव शामिल हैं। प्रशासनिक मंत्रालय की टिप्पणियों की इस अंतिम निष्कर्ष के संगत शीर्षों में विधिवत जांच की गई है।
- xviii. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 16 जुलाई 2025 को आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद, निर्दिष्ट प्राधिकारी में बदलाव के कारण, 4 दिसंबर 2025 को दूसरी मौखिक सुनवाई आयोजित की गई। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध देने और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध देने का निर्देश दिया गया था।
- xix. नियम 6(8) के अनुसार, जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है, या आवश्यक सूचना नहीं दी है, या जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकार को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- xx. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की पर्याप्तता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।
- xxi. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन किया। प्राधिकारी ने वर्तमान मामले में अपने विश्लेषण में हितबद्ध पक्षकारों के सत्यापित आंकड़े पर विचार किया है।
- xxii. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा। एनआईपी की गणना उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन और बिक्री की लागत के आधार पर की गई है, जो घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध सूचना के आधार पर और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए की गई है। एनआईपी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया गया है।
- xxiii. जांच के आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटन विवरण जो अंतिम निष्कर्ष का आधार बना है, 29 जनवरी, 2026 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को 5 फरवरी, 2026 तक टिप्पणी दायर करने का समय दिया गया था। इस अंतिम जांच परिणाम में प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी प्राप्त की गई है, जो प्रासंगिक और गैर-पुनरावृत्ति की पाई गई है।
- xxiv. प्राधिकारी ने साक्ष्य द्वारा समर्थित सीमा तक और वर्तमान प्रयोजन के लिए संगत मानी गई सीमा तक जांच प्रक्रिया के घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदान की गई सूचना और किए गए अनुरोधों की जांच की।
- xxv. इस अंतिम निष्कर्ष में, "****" गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकार द्वारा दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

xxvi. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएस\$. = 84.00 रु. है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

“3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) 'मोनोइसोप्रोपाइलामाइन' है, जिसे 'एमआईपीए' के नाम से भी जाना जाता है।

4. एमआईपीए एक कार्बनिक यौगिक, एक एमाइन है। यह अमोनिया जैसी गंध वाला एक आर्द्रताग्राही रंगहीन तरल है। इसका गलनांक -95.2 डिग्री सेल्सियस है और इसका क्वथनांक 32.4 डिग्री सेल्सियस है। यह पानी में घुलनशील है। यह अत्यंत ज्वलनशील है, जिसका फ्लैश प्वाइंट -37 डिग्री सेल्सियस है। एमआईपीए निर्जल (99.5%) रूप में निर्मित होता है। निर्जल रूप में पानी मिलाकर पतला रूप प्राप्त किया जाता है जिसकी सांद्रता का स्तर खरीदार की आवश्यकता के अनुसार वांछित स्तर तक कम हो जाता है। यह अनुप्रयोग या अंतिम उपयोग के आधार पर निर्जल रूप और जलीय रूप दोनों में वाणिज्यिक रूप से बेचा जाता है।

5. उत्पाद का उपयोग ग्लाइफोसेट शाकनाशी फॉर्मूलेशन में किया जाता है, जो एट्रज़िन (एक अन्य शाकनाशी) का एक प्रमुख घटक है, प्लास्टिक के लिए एक नियामक एजेंट के रूप में, कोटिंग सामग्री, प्लास्टिक, कीटनाशकों, रबर रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स के कार्बनिक संश्लेषण में मध्यवर्ती के रूप में और पेट्रोलियम उद्योग में एक योजक के रूप में किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद के पास समर्पित एचएस कोड नहीं है। इसका आयात सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उप शीर्ष 2921 11 90, 2921 19 90 और 2921 19 20 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।”

ख.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ख.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद मोनोइसोप्रोपाइलामाइन है, जिसे एमआईपीए के नाम से भी जाना जाता है।
- ii. विचाराधीन उत्पाद को अनुप्रयोग या अंतिम उपयोग के आधार पर निर्जलित रूप और जलीय रूप में बेचा जाता है।
- iii. विचाराधीन उत्पाद को बल्क और पैकड, दोनों रूपों में आयात किया जाता है और पीसीएन पद्धति को उचित ठहराने के लिए दोनों की कीमत में पर्याप्त अंतर है।
- iv. विचाराधीन उत्पाद के पास समर्पित एचएस कोड नहीं है। इसका आयात सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के उप शीर्ष 2921 11 90, 2921 19 90 और 2921 19 20 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत किया जाता है।
- v. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध देश से निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

ख.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'मोनोइसोप्रोपाइलामाइन' है, जिसे 'एमआईपीए' के नाम से भी जाना जाता है।
8. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति के क्षेत्र को अधिसूचित किया। हितबद्ध पक्षकारों से इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां प्रदान करने के लिए कहा गया था।
9. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी दायर नहीं की। तदनुसार, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की शुरुआत की अधिसूचना में दिए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद के उसी क्षेत्र की पुष्टि की और संगत सूचना देने के प्रयोजन से पीसीएन पद्धति निम्नलिखित रूप में अधिसूचित की।

तालिका - 1

क्र.सं.	पीसीएन
1	एमआईपीए बल्क
2	एमआईपीए पैकड

10. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र या पीसीएन पद्धति के संबंध में किसी भी हितबद्ध पक्षकार से अन्य अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं।
11. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि निम्नलिखित रूप से करते हैं:

“3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) 'मोनोइसोप्रोपाइलामाइन' है, जिसे 'एमआईपीए' के नाम से भी जाना जाता है।

4. एमआईपीए एक कार्बनिक यौगिक, एक एमाइन है। यह अमोनिया जैसी गंध वाला एक आर्द्रताग्राही रंगहीन तरल है। इसका गलनांक -95.2 डिग्री सेल्सियस है और इसका क्वथनांक 32.4 डिग्री सेल्सियस है। यह पानी में घुलनशील है। यह अत्यंत ज्वलनशील है, जिसका फ्लैश प्वाइंट -37 डिग्री सेल्सियस है। एमआईपीए निर्जल (99.5%) रूप में निर्मित होता है। निर्जल रूप में पानी मिलाकर पतला रूप प्राप्त किया जाता है जिसकी सांद्रता का स्तर खरीदार की आवश्यकता के अनुसार वांछित स्तर तक कम हो जाता है। यह अनुप्रयोग या अंतिम उपयोग के आधार पर निर्जल रूप और जलीय रूप दोनों में वाणिज्यिक रूप से बेचा जाता है।

5. उत्पाद का उपयोग ग्लाइफोसेट शाकनाशी फॉर्मूलेशन में किया जाता है, जो एट्रज़िन (एक अन्य शाकनाशी) का एक प्रमुख घटक है, प्लास्टिक के लिए एक नियामक एजेंट के रूप में, कोटिंग सामग्री, प्लास्टिक, कीटनाशकों, रबर रसायनों और फार्मास्यूटिकल्स के कार्बनिक संश्लेषण में मध्यवर्ती के रूप में और पेट्रोलियम उद्योग में एक योजक के रूप में किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद के पास समर्पित एचएस कोड नहीं है। इसका आयात सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उप शीर्ष 2921 11 90, 2921 19 90 और 2921 19 20 के तहत अध्याय 29 के अंतर्गत किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।”

12. संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई समान वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता उनका प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से कर सकते हैं। अतः, प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

ग. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं:

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

14. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- I. घरेलू उद्योग एकमात्र उत्पादक है और भारत में समान वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है।
- II. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- III. घरेलू उद्योग संबद्ध देश में किसी निर्यातक या भारत में विचाराधीन के आयातकों से संबद्ध नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

‘(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।’

16. यह आवेदन-पत्र मैसर्स अल्काइल एमाइन्स केमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। जांच के दौरान, प्राधिकारी ने भारत में समान वस्तु के ज्ञात उत्पादकों को पत्र जारी करने सहित किसी अन्य घरेलू उत्पादकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। जांच की अवधि के दौरान किसी अन्य उत्पादक द्वारा समान वस्तु के उत्पादन का संकेत देने वाली कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, आवेदक ने सूचित किया है कि मैसर्स बालाजी अमीन्स लिमिटेड ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में उत्पादन शुरू किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के बाद शुरू होने वाले उत्पादन से नियम 5 के तहत आधार के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी वर्तमान जांच की जांचावधि के संदर्भ में जांच की जानी आवश्यक है।

17. इस प्रकार, रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के अनुसार, आवेदक जांच की अवधि के दौरान भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक था। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग न तो संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या

उत्पादक से संबंधित है और न ही नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं है।

18. अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित किए गए अनुसार 'घरेलू उद्योग' है, और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के तहत 'आधार' की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

घ. विविध अनुरोध

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध

19. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

- I. आवेदक द्वारा दायर आवेदन-पत्र और जांच शुरुआत की अधिसूचना में व्यापार सूचना संख्या 2/2004 दिनांक 12 मई 2004 का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क के लिए आवेदन-पत्र में अनिवार्य रूप से जांच की अवधि और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए सूचना शामिल होनी चाहिए।
- II. आवेदक ने क्षति की अवधि में हेरफेर किया और 2020-21, 2021-22, अप्रैल 2022-जून 2023 (15 महीने) के लिए सूचना प्रदान की और प्राधिकारी ने बिना कोई औचित्य बताए जांच शुरुआत अधिसूचना में जांच के उद्देश्य से तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में 15 महीने की अवधि लेकर व्यापार सूचना का उल्लंघन किया है। जब तक प्राधिकारी इस मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष प्राधिकारी द्वारा ली गई कानूनी स्थिति के आलोक में उठाई गई जांच शुरुआत आपत्तियों पर अपना तर्कपूर्ण निर्णय नहीं दे देते, तब तक प्रतिवादी लिखित अनुरोधों पर टिप्पणी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

20. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

- i. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षति अवधि उचित नहीं है, तो हितबद्ध पक्षकार ने मौखिक सुनवाई के दौरान प्राधिकारी को आश्वासन दिया था कि वह संगत उदाहरण प्रदान करेगा जिसमें प्राधिकारी द्वारा इसी तरह की जांच की अवधियों पर आपत्ति जताई गई है। तथापि, अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा उद्धृत किए गए उदाहरणों के बिना ऐसे आश्वासन खाली रहते हैं।
- ii. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदन-पत्र अक्टूबर 2024 में दायर किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षति का विश्लेषण विकृत नहीं है और व्यापार सूचना संख्या 02/2004 और 2/2021 के साथ शिकायत बनी रहे, वर्तमान क्षति अवधि अप्रैल 2020 से मार्च 2021, अप्रैल 2021 से मार्च 2022, अप्रैल 2022 से जून 2023 और जुलाई 2023 से जून 2024 तक होनी थी, यह सुनिश्चित करता है कि जांच की अवधि से पहले की क्षति की अवधि वित्तीय वर्ष अप्रैल 2022 से मार्च 2023 है, जबकि पूरी क्षति अवधि में कोई अंतराल नहीं रहता है।
- iii. आवेदक द्वारा मानी गई क्षति अवधि प्राधिकारी की परिपाटी के अनुरूप है। प्राधिकारी द्वारा संतृप्त वसायुक्त एल्कोहॉल के संबंध में पाटनरोधी जांच, मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु स्टील के रंगीन लेपित/पूर्व-रंगित फ्लैट उत्पादों

पर पाटनरोधी जांच, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर पर पाटनरोधी जांच और पवन संचालित बिजली जनरेटर के लिए कास्टिंग पर प्रतिकारी शुल्क जांच में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

- iv. प्रतिवादी ने यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि क्षति अवधि के चयन ने प्राधिकारी की जांच को विकृत किया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. क्षति अवधि के चयन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों का विश्लेषण किया गया है। इस संबंध में, व्यापार सूचना संख्या 2/2004 दिनांक 12 मई 2004 और व्यापार सूचना संख्या 02/2021 दिनांक 6 अप्रैल 2021 पर भरोसा किया गया है, जिसका संगत भाग नीचे उद्धृत किया गया है:
- “2. व्यापार और उद्योग को सलाह दी जाती है कि पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन-पत्र करते समय निम्नलिखित आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए:”*
- “(iii) आवेदन-पत्र में अनिवार्य रूप से जांच की प्रस्तावित अवधि (पीओआई) और पिछले तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित सूचना और आंकड़े होने चाहिए। कोई अंतराल नहीं होना चाहिए लेकिन जांच की अवधि और पिछले वित्तीय वर्षों के बीच अतिव्यापन हो सकता है। क्षति के निर्धारण के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए पिछले तीन वर्षों के आंकड़े का उपयोग किया जाएगा”*
22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार का प्राथमिक तर्क यह है कि वर्तमान मामले में पूर्ववर्ती वर्ष 15 महीने की अवधि और गैर-वित्तीय वर्ष है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में, आवेदन-पत्र को जांच की अवधि जुलाई 2023 से जून 2024 और 2020-21, 2021-22, अप्रैल 2022 से जून 2023 और जुलाई 2023 से जून 2024 की अवधि के साथ क्षति अवधि के रूप में दायर किया गया था। क्षति अवधि को 2020-21, 2021-22, अप्रैल 2022 से जून 2023 और जुलाई 2023 से जून 2024 मानते हुए, यह सुनिश्चित किया गया कि जांच की अवधि से पहले की अवधि वित्तीय वर्षों को कवर करती है और दोनों अवधियों के बीच कोई अंतर नहीं था। यदि आवेदक ने 2020-21, 2021-22, 2022-23, अप्रैल 2023 से जून 2023 को पूर्ववर्ती वर्ष माना होता तो जांच की अवधि से ठीक पहले का वर्ष केवल 3 महीने का होता और इससे पूरे विश्लेषण में विकृति उत्पन्न होती। वहीं अगर अप्रैल 2023 से जून 2023 की अवधि को बाहर रखा गया होता, तो इससे क्षति अवधि में अंतर आ जाता। जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकार ने दावा किया कि वह यह स्थापित करने के लिए पिछली परिपाटी देगा कि वर्तमान जांच में जांच की अवधि असंगत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रदान नहीं की गई है। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने कई विगत जांचें बताई हैं जिनमें तत्काल पूर्व-वर्ष गैर वित्तीय वर्ष था। यह भी नोट किया जाता है कि तत्काल पूर्ववर्ती अवधि के रूप में पंद्रह महीने की अवधि पर विचार करने से जांच के परिणाम या किसी भी सेट के हितधारकों के वास्तविक हितों पर कोई पूर्वाग्रह या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए यह माना जाता है कि वर्तमान क्षति अवधि का चयन प्राधिकारी की लगातार स्थापित परिपाटी के अनुरूप है।
23. *मैसर्स मेघमणि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड बनाम भारत संघ* में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय पर हितधारक पक्षकारों के विश्वास के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मामला डायथाइल थियो फॉस्फोरिल क्लोराइड के आयात में पाटनरोधी जांच से संबंधित था, जहां आयातक ने जांच शुरुआत अधिसूचना को चुनौती दी थी। उस मामले में, प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय को सूचित किया कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाई गई प्राथमिक आपत्तियों को उन्हें सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद हल किया जाएगा। सुनवाई और टिप्पणियों के अनुरोध के बाद, उन आपत्तियों पर विधिवत विचार किया गया। वर्तमान मामले में, प्राधिकारी यह सुनिश्चित करते हुए दो मौखिक सुनवाई की हैं कि हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोध दायर करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोध

24. अन्य हितबद्ध पक्षकार ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है:

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

25. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. चीन जन.गण. को चीन अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य अनुबंध- I, नियमावली के नियम 7 के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ii. 11 दिसंबर 2016 को, चीन अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान समाप्त हो गए, परंतु अनुच्छेद 15(क)(i) के प्रावधान अभी भी लागू हैं, जिसके लिए चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम कर रहे हैं।
- iii. चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा किए गए सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के दावे निर्विवाद हैं।
- iv. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए, किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत और कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
- v. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन भारत, चीन जन.गण., यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। जबकि उत्पाद का चीन जन.गण. में एक समर्पित कोड है, इसका यूरोपीय संघ या अमेरिका में एक समर्पित कोड नहीं है।
- vi. सामान्य मूल्य भारत में वास्तव में भुगतान किए गए या भुगतान किए जाने वाले मूल्य पर आधारित होना चाहिए, उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ समायोजित किया जाना चाहिए।
- vii. भारत में देय कीमत के निर्धारण के लिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की कच्ची सामग्री की कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें प्राधिकारी ने हाल ही में भारत में कीमत को पाटित की गई कीमत पर पाया है।
- viii. आवेदक ने समायोजन के रूप में क्रेडिट लागत, मालसूची वहन लागत और गौण पैकेजिंग जैसे खर्चों पर विचार नहीं किया था। आवेदक का प्राधिकारी से अनुरोध है कि इन खर्चों तथा निर्यात कीमत के परिकलन में विचार करें।
- ix. चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों की भागीदारी न होने से पता चलता है कि निर्यात कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई कीमत से कम हो सकती है।

इ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

इ 3.1 सामान्य मूल्य

26. प्राधिकारी चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और पैरा 8 के तहत निम्नलिखित संगत प्रावधानों को नोट करते हैं।

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

“8. (1) गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश” वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि विक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।”

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ.के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, विक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा

भुगतान के संबंध में ;(ग)ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ;(घ)विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं। तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो”

27. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानने की अवधारणा के साथ कार्यवाही की। जांच की शुरुआत पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दी कि वे जांच की शुरुआत की अधिसूचना का उत्तर दें और यह सूचना दें कि क्या उनके आंकड़ों/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन.गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

28. डब्ल्यूटीओ में चीन अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमावली के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है ,यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

29. यह नोट किया जाता है कि डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान यद्यपि 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने हेतु नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा होती है।
30. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने हेतु पाटनरोधी नियमावली के अनुच्छेद 1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा है।
31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 में उल्लिखित इस अवधारणा का खंडन करने के लिए इस जांच में चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने भाग नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करनी है।
32. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के लिए सामान्य मूल्य के निर्माण की तीन पद्धतियां निर्धारित हैं: (क) बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर; (ख) भारत सहित अन्य देशों में तीसरे देश से निर्यात कीमत; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित, यदि आवश्यक हो, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत शामिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के तहत, सामान्य मूल्य का निर्धारण प्रतिनिधिक देश में कीमत या निर्मित मूल्य, भारत सहित अन्य देशों में ऐसे देश से निर्यात की कीमत, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाना चाहिए।
33. आवेदन-पत्र दायर करने के स्तर पर, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया था कि चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए।
34. पहली और दूसरी पद्धतियों के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई सूचना/साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। अतः, प्राधिकारी ने तीसरी पद्धति, यानी किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य (सीएनवी) निर्मित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में वास्तव में भुगतान किए गए या भुगतान किए जाने वाले मूल्य के आधार पर किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, प्राधिकारी ने विक्री,

सामान्य और प्रशासनिक व्यय और लाभ को उचित रूप से जोड़कर घरेलू उद्योग की अनुकूलित उत्पादन लागत पर विचार किया है।

35. प्राधिकारी चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "आइसोप्रोपाइल अल्कोहल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल अमोनिया और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। प्राधिकारी ने अंतिम निष्कर्ष संख्या 6/09/2023-डीजीटीआर दिनांक 14 अगस्त 2024 द्वारा निष्कर्ष निकाला था कि आइसो-प्रोपाइल अल्कोहल को चीन जन.गण. से पाटन की गई कीमतों पर भारत में निर्यात किया जा रहा था और इससे भारतीय उद्योग की कीमतें प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थीं। इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि यदि उत्पादन लागत की गणना के उद्देश्य से भारत में कच्चे माल की कीमतों पर विचार किया जाता है, तो इसका तात्पर्य कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना होगा जो स्वयं पाटन है। यह भी देखा गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के दावे का विरोध नहीं किया है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, आईपीए को घरेलू स्तर पर खरीदा जाता है, और प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन की लागत के निर्धारण के उद्देश्य से इस पर विचार किया है।
36. चीन जन.गण. के लिए सामान्य बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के अनुसार परिकल्पित भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है। बल्क और पैकड सामानों के लिए अलग सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

इ.3.2 निर्यात कीमत

37. चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है। चूंकि ये आंकड़े सीआईएफ शर्तों पर हैं, अतः कारखानागत स्तर पर निकालने के लिए पर्याप्त समायोजन किया गया है। बल्क और पैकड सामानों के लिए निर्यात कीमत अलग से निर्धारित की गई है। भारत औसत कारखानागत निर्यात कीमत, जैसा कि निर्धारित है, नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

इ.3.3 पाटन मार्जिन

38. विचाराधीन उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

तालिका – 2

पाटन मार्जिन

विवरण	सामान्य मूल्य (सीएनवी) यूएसडॉ./ एमटी	निर्यात कीमत यूएसडॉ./ एमटी	पाटन मार्जिन		
			यूएसडॉ./ एमटी	%	रेंज
कोई उत्पादक	***	***	***	***	35-45

च. क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन**च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

39. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के आकलन बारे में कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

च. 2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

40. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के आकलन के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. 2020-21 को क्षति विश्लेषण से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इस अवधि में घरेलू उद्योग को पाटन के अलावा अन्य कारणों से घाटा हुआ। कोविड -19 महामारी के प्रकोप के कारण संबद्ध वस्तु के कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की कमी हो गई थी, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ।
- ii. 2020-21 में आयात अधिक थे क्योंकि घरेलू उद्योग का संयंत्र बंद था तथा बाजार में अनिश्चितता रही थी।
- iii. 2021-22 में भारत में मांग में गिरावट आई, जिसका कारण (क) एमआईपीए-70% की मांग में कमी तथा (ख) 2020-21 में अत्यधिक आयात था। एमआईपीए-70% का उपयोग ग्लाइफोसेट (शाकनाशी) के निर्माण में होता है, जिसका उपयोग खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है।
- iv. ग्लाइफोसेट की मांग मौसमी प्रकृति की है तथा 2021-22 में भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ आई, जिससे ग्लाइफोसेट की मांग में गिरावट आई और परिणामस्वरूप एमआईपीए की मांग भी प्रभावित हुई।
- v. पीयूसी के पाटन का प्रतिकूल प्रभाव पीओआई में शुरू हुआ, जब पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो गया, जिसके कारण घरेलू उद्योग को लाभ और कीमत दोनों मानकों पर घाटा उठाना पड़ा।
- vi. 2021-22 से पीओआई तक, आयातों में समग्र रूप से तथा भारतीय उत्पादन और खपत के अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- vii. संबद्ध देश से आयात पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम पर घरेलू बाजार में आते रहे हैं, और पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद पीओआई में यह अंतर और अधिक बढ़ गया है।
- viii. पीओआई में आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत से कम था, और कीमत-कटौती महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक है।
- ix. पीओआई में पहुंच मूल्य में गिरावट ने घरेलू उद्योग को अपने बिक्री कीमत कम करने के लिए विवश किया, जिससे कीमत ह्रास हुआ।
- x. यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता विशेष रूप से समान वस्तु के उत्पादन के लिए समर्पित नहीं है, फिर भी घरेलू उद्योग के पास संपूर्ण भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता थी।

- xi. पीओआई में उत्पादन और क्षमता उपयोग में तीव्र गिरावट आई है।
- xii. पीओआई में घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री 2020-21 के स्तर से भी नीचे रही, जब घरेलू उद्योग को कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन और कच्ची सामग्री की खरीद में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था।
- xiii. पीओआई के दौरान दो महीनों तक घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु का कोई उत्पादन नहीं किया गया।
- xiv. यद्यपि 2021-22 तथा अप्रैल 2022 से जून 2023 तक मासिक आयात मात्रा लगभग 100 एमटी थी, तथापि पीओआई के अंत तक यह बढ़कर लगभग 500 एमटी हो गई, और आवेदक की घरेलू बिक्री [***] एमटी से घटकर [***] एमटी प्रति माह की रेंज में आ गई।
- xv. पाटित आयातों का प्रभाव इतना प्रतिकूल रहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अनुबंध किए थे, उन्होंने अंततः अपनी आवश्यकताएँ कम कीमत वाले आयातों के माध्यम से पूरी कीं।
- xvi. 2021-22 में, जब घरेलू उद्योग ने पूर्ण उत्पादन पुनः आरंभ किया, उसका बाजार हिस्सा बढ़ा। 2022-23 में बाजार हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई और उसके बाद पीओआई में, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, ***% की गिरावट दर्ज की गई।
- xvii. पीओआई में, मांग में वृद्धि के बावजूद, मालसूची बढ़ गई और यह क्षति अवधि की तुलना में इसका सर्वाधिक स्तर पर बना रहा।
- xviii. 2020-21 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता नकारात्मक थी तथा 2021-22 में कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण कम रही। इसके बाद 2022-23 में लाभप्रदता में वृद्धि हुई।
- xix. जैसे ही पीओआई में पाटनरोधी शुल्क समाप्त हुआ, घरेलू उद्योग का प्रति इकाई लाभ पीओआई और उससे ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के बीच लगभग ₹ [***] प्रति एमटी घट गया, जो पीओआई में प्राप्त लाभ का तीन गुना है, तथा सकल घरेलू बिक्री पर लाभ 90% तक घट गया।
- xx. पीओआई में प्रति दिन उत्पादकता, प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा घरेलू उद्योग के वेतन और मजदूरी में गिरावट आई।
- xxi. किसी भी उत्पादक के लिए इस उत्पाद के उत्पादन में प्रवेश करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है। वर्तमान नियोजित पूंजी पर आय ब्याज दायित्वों को भी पूरा नहीं कर सकती है और इसलिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हो रही है।
- xxii. संबद्ध आयातों के अलावा घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाला कोई अन्य कारण नहीं है।
- xxiii. संबद्ध देश के अलावा, यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात निर्धारित न्यूनतम सीमा सीमा से अधिक थे, परंतु ऐसे आयातों की कीमत संबद्ध देश से आने वाले आयातों की तुलना में कहीं अधिक है। ये आयात मात्रा में निरंतर नहीं हैं और प्रत्येक माह घरेलू बाजार में प्रवेश नहीं करते हैं।

xxiv. संबद्ध आयातों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा सीमा से काफी अधिक और पर्याप्त है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

41. पाटनरोधी अनुबंध II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जाँच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, '.....जिसमें पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसे आयातों का ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर परिणामी प्रभाव सहित....' सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जाँच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमतों में भारी कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी सीमा तक कम करने या कीमतों में ऐसी उल्लेखनीय वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमावली के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।
42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति पर कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है।
43. संबद्ध देश से पीयूसी के आयात पर पाटनरोधी शुल्क वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21-03-2018 के माध्यम से लगाया गया था। एक निर्णायक समीक्षा 15 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई और अंतिम निष्कर्ष संख्या 7/12/2022-डीजीटीआर दिनांक 20 दिसंबर 2022 के माध्यम से अधिसूचित किए गए। इसमें प्राधिकारी ने यह दर्ज किया कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। तथापि, डीजीटीआर की सकारात्मक सिफारिशों के बावजूद वित्त मंत्रालय ने पाटनरोधी शुल्क को आगे जारी नहीं रखा।
44. चीन जन गण से पीयूसी के आयात पर पाटनरोधी शुल्क 20 मार्च 2023 तक लागू थे। नीचे दिया गया क्षति विश्लेषण इस अवधि तक पाटनरोधी शुल्क की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
45. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के चलते 2020-21 की अवधि को क्षति विश्लेषण से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2020-21 की अवधि में, पीयूसी के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को सैनिटाइज़र के उत्पादन हेतु प्रयोग किया गया था। यह देखा गया कि कच्ची सामग्री की अधिक कीमत और अनुपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग को इस अवधि में कुछ समय के लिए उत्पादन निलंबित करना पड़ा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पीयूसी पर पूर्व में की गई निर्णायक समीक्षा जांच में भी 2020-21 की इस व्यवधान की जाँच की गई थी और डीजीटीआर ने निम्नलिखित रूप से जाँच परिणाम प्रस्तुत किए थे:

"43. 2020-21 में निष्पादन के संबंध में, आवेदक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में कच्ची सामग्री की कमी के साथ-साथ कच्ची सामग्री की कीमतों में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। तथापि, इस अवधि में संबद्ध देश और गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों की मात्रा में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। कच्ची सामग्री की कमी के कारण आवेदक को अपना उत्पादन निलंबित करना पड़ा और परिणामस्वरूप उसे घाटा उठाना पड़ा।"
46. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि 2020-21 की अवधि को क्षति विश्लेषण में शामिल करना उपयुक्त नहीं होगा।

च.3.1 मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

47. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार आकलन की गई मांग नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका - 3

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियाँ	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	175	59
3	संबद्ध देश से आयात	एमटी	1,956	592	1,195	4,268
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	30	61	218
5	अन्य देशों से आयात	एमटी	1,432	195	274	179
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	14	19	13
7	मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	94	94

48. उपर्युक्त जानकारी के आधार पर यह देखा गया है कि 2020-21 की तुलना में 2021-22 में उत्पाद की मांग/खपत में गिरावट आई। इसके पश्चात्, बाद की अवधियों में मांग में वृद्धि दर्ज की गई।
49. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 2021-22 में मांग में आई गिरावट का कारण एमआईपीए-70% की आवश्यकता में कमी थी, जिसका उपयोग ग्लाइफोसेट के उत्पादन में किया जाता है। ग्लाइफोसेट एक मौसमी उत्पाद है, जिसका उपयोग खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। 2021-22 के दौरान देश के कई हिस्सों में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के कारण ग्लाइफोसेट की मांग में कमी आई, जिससे परिणामस्वरूप एमआईपीए की मांग भी प्रभावित हुई। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि 2020-21 में हुए अत्यधिक आयातों ने बाद की अवधि में मांग की प्रवृत्ति को भी प्रभावित किया।

च.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

50. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए यह विचार करना आवश्यक है कि क्या संबद्ध देश से पाटित आयातों में समग्र रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका - 4

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	संबद्ध देश से आयात	एमटी	1,956	592	1,195	4,268
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	30	61	218
3	अन्य देशों से आयात	एमटी	1,432	195	274	179

4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	14	19	13
<i>निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात</i>						
5	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	24	46	370
7	भारतीय मांग	%	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	39	65	233
9	कुल आयात	%	58	75	81	96
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	141	166

51. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयात 2020-21 की तुलना में 2021-22 में तेजी से घट गए थे और उसके बाद अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में इनमें वृद्धि हुई। मार्च 2023 में पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के साथ, पीओआई के दौरान संबद्ध देश से आयात की मात्रा में तेज़ वृद्धि दर्ज की गई।
52. भारतीय उत्पादन के सापेक्ष संबद्ध देश से आयात 2021-22 की तुलना में अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में 22 सूचकांक अंकों तक बढ़े। जांच अवधि में भारतीय उत्पादन के सापेक्ष आयात में और अधिक वृद्धि हुई और यह 324 सूचकांक अंकों तक पहुँच गई।
53. भारतीय मांग के सापेक्ष संबद्ध देश से आयात जांच अवधि में 165 सूचकांक अंकों तक बढ़े। जबकि जांच अवधि के दौरान मांग लगभग 2021-22 के समान स्तर पर बनी रही, संबद्ध देश से आयात असमानुपातिक रूप से बढ़े, जिससे उनकी हिस्सेदारी में तीव्र वृद्धि स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त, कुल आयातों में संबद्ध देश से आयात की हिस्सेदारी भी 2021-22 से जांच अवधि तक निरंतर बढ़ती रही।

च.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

54. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संदर्भ में यह विश्लेषण आवश्यक है कि क्या कथित पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में कोई महत्वपूर्ण कीमत-कटौती हुई है, अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में ह्रास करना या ऐसी कीमत-वृद्धि को रोकने का रहा है, जो अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में बढ़ गई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़े प्रभाव की जाँच कीमत-कटौती, कीमत ह्रास तथा कीमत न्यूनीकरण के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) तथा क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के पंहुच मूल्य से की गई है।

क. कीमत-कटौती

55. कीमत-कटौती के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयात के पंहुच मूल्य से की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के प्रभाव निम्नलिखित रूप में पाए गए हैं:

तालिका - 5

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	बल्क	पैकड	पीओआई
1	आयात मात्रा	एमटी	751	3,517	4,268
2	निवल बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***	***	***
3	पंहुच कीमत	₹/एमटी	1,44,277	1,59,916	1,57,164
4	कीमत कटौती	₹/एमटी	***	***	***
5	कीमत कटौती	%	***	***	***
6	कीमत कटौती	रेंज %	15-25	25-35	25-35

56. प्राधिकारी ने सर्वप्रथम दोनों पीसीएन के लिए घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत की तुलना की है और उसके पश्चात् भारत और तुलना की गई है। भारत और तुलना की गणना प्रत्येक पीसीएन की बिक्री कीमत तथा प्रत्येक पीसीएन के लिए आयात से संबंधित भार को ध्यान में रखते हुए की गई है।
57. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं तथा कीमत-कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया है कि पूर्ववर्ती वर्षों में भी कीमत-कटौती सकारात्मक थी, किंतु उस समय लागू पाटनरोधी शुल्क के माध्यम से पाटित आयातों के क्षतिकारी प्रभाव को नियंत्रित किया गया था।

ख. कीमत हास/कीमत न्यूनीकरण

58. यह निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में हास कर रहे हैं तथा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो सामान्य परिस्थितियों में अन्यथा बढ़ गई होती, क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना नीचे दी गई तालिका के अनुसार की गई है:

तालिका - 6

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	114	107
3	परिवर्तन	₹/एमटी	***	***	***	***
4	बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
5	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	101	102
6	परिवर्तन	₹/एमटी	***	***	***	***
7	पंहुच कीमत	₹/एमटी	1,33,960	1,65,882	1,68,758	1,57,164
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	126	117
9	प्रवृत्ति	₹/एमटी	-	31,922	2,877	-11,594
10	एडीडी सहित पंहुच कीमत	₹/एमटी	1,80,597	2,12,612	2,19,964	1,57,164

59. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के बिक्री कीमत और लागत की तुलना औसत आधार पर की है (पीयूसी को समग्र रूप में मानते हुए, न कि प्रत्येक पीसीएन के लिए पृथक रूप से)। भारत औसत बिक्री कीमत और बिक्री लागत की गणना के लिए, प्रत्येक पीसीएन के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री से संबंधित भार को ध्यान में रखा गया है।
60. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि:
- क. 2020-21 में घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा था। 2021-22 में, जहाँ 2020-21 की तुलना में बिक्री लागत ₹*** प्रति एमटी घट गई, वहीं बिक्री कीमत में केवल ₹*** प्रति एमटी की मामूली गिरावट आई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग घाटे से उबर गया और इस अवधि में लाभ अर्जित किया।
- ख. अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में, जहाँ 2021-22 की तुलना में बिक्री लागत ₹*** प्रति एमटी बढ़ी, वहीं बिक्री कीमत में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई और यह ₹*** प्रति एमटी तक बढ़ गई।
- ग. पीओआई में, जब पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त हो गया, बिक्री लागत ₹*** प्रति एमटी बढ़ गई, जबकि बिक्री कीमत ₹*** प्रति एमटी तक घट गई।
- घ. संबद्ध देश से आयात का पंहुच मूल्य सम्पूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रहा। तथापि, मार्च 2023 तक पाटनरोधी शुल्क लागू था, जिसने पाटित आयातों के क्षतिकारक प्रभाव को नियंत्रित किया।
- ङ. पीओआई में, यद्यपि बिक्री लागत में कोई गिरावट नहीं आई, तथापि संबद्ध देश से आयात का पंहुच मूल्य ₹*** प्रति एमटी घट गया।
61. अतः यह स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि पीओआई में संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण किया है।

च.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

62. नियमावली के अनुबंध II के अनुसार, क्षति के निर्धारण में संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जाँच शामिल होगी। संबद्ध उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की नीचे चर्चा की गई है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा


63. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग का विवरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है:

तालिका - 7

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	क्षमता	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
3	कुल उत्पादन (पीयूसी और गैरपीयूसी)	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	124	81
5	क्षमता उपयोग (संयंत्र)	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	124	81
7	उत्पादन ~ पीयूसी	एमटी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	133	59
9	घरेलू बिक्रियाँ	एमटी	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	140	59

64. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता सम्पूर्ण क्षति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रही है।
- ख. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पीयूसी के अतिरिक्त, उसी स्थान पर डाइ-आइसोप्रोपाइल अमीन, 2-एथाइल हेक्साइल अमीन तथा 2-एथाक्सी एथाइल अमीन का भी उत्पादन किया जाता है। घरेलू उद्योग के अनुसार, इन उत्पादों की संयुक्त मांग प्रति वर्ष *** से *** एमटी के बीच है।
- ग. यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता केवल पीयूसी के उत्पादन के लिए समर्पित नहीं है, तथापि यह तर्क दिया गया है कि उपलब्ध क्षमता पीयूसी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- घ. घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी का उत्पादन अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि तक बढ़ता रहा और उसके बाद पीओआई में इसमें महत्वपूर्ण गिरावट आई। पीओआई में घरेलू उद्योग का पीयूसी उत्पादन 2021-22 की तुलना में लगभग 53% तथा ठीक पूर्ववर्ती अवधि की तुलना में लगभग 56% घट गया। परिणामस्वरूप, पीयूसी के संदर्भ में क्षमता उपयोग में भी पीओआई में गिरावट दर्ज की गई।
- ङ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि तक बढ़ी और उसके बाद पीओआई में घट गई। पीओआई में घरेलू बिक्री 2021-22 की तुलना में 54% तथा ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 57% कम हो गई।
- च. इस अवधि के दौरान पीयूसी की मांग में वृद्धि देखी गई। यद्यपि मांग बढ़ी, फिर भी घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई।



ख. बाजार हिस्सा

65. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा और भारत में उत्पाद के आयातों को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका – 8

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	164	186	63
3	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	39	65	233
5	अन्य देश	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	17	20	13

66. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- क. 2020-21 में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम था क्योंकि कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग का संयंत्र बंद था। इस अवधि के दौरान संबद्ध देश तथा अन्य देशों की बाजार हिस्सेदारी अधिक थी।
- ख. 2021-22 में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई, अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में इसमें गिरावट आई तथा पीओआई में इसमें तीव्र गिरावट दर्ज की गई।
- ग. संबद्ध देश से पाटित आयातों की बाजार हिस्सेदारी 2021-22 में घटी, अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में बढ़ी और उसके बाद पीओआई में इसमें तेज़ वृद्धि हुई।
- घ. अन्य देशों की बाजार हिस्सेदारी 2021-22 के बाद घट गई है।

- ड. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने घरेलू उद्योग के साथ अनुबंध किए थे, उन्होंने भी अंततः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति संबद्ध देश से आयातों के माध्यम से की, जबकि उन्होंने घरेलू उद्योग को पक्के क्रय आदेश दे रखे थे।

ग. मालसूची

67. मालसूची से संबंधित जानकारी नीचे प्रस्तुत की गई है।

तालिका - 9

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	179	205	188
3	अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	104	126
5	औसत मालसूची	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	138	141	148

68. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची में क्षति अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि होती रही है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय

69. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नियोजित पूंजी पर आय तथा नकद लाभ का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका - 10

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	230	777	170
3	पीबीआईटी	₹ लाख	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	244	805	178
5	नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	7,627	24,055	4,720
7	आरओसीई	%	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	245	694	217

70. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- क. आधार वर्ष में घरेलू उद्योग को घाटा हुआ था। यह तर्क दिया गया है कि यह घाटा कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण हुआ था।
- ख. वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ और घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित किया। तथापि, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा पूर्व जांच में दर्ज किया गया था, घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ का स्तर कम था।
- ग. अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि हुई। तथापि, पीओआई में लाभप्रदता पुनः तीव्र रूप से घट गई।
- घ. नकद लाभ तथा ब्याज और कर पूर्व लाभ अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि तक बढ़े, किंतु पीओआई में इनमें गिरावट आई।
- ङ. नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) ने भी ब्याज और कर से पूर्व लाभ (पीबीआईटी) के रुझानों का अनुसरण किया है। पीओआई में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आरओसीई काफी कम रहा।

ङ. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

71. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी से संबंधित विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका - 11

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	91	79
3	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	147	74
5	प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	संख्या	100	125	133	58
7	मजदूरी	₹ लाख	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	80	38

72. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

- क. घरेलू उद्योग में कर्मचारियों की संख्या तथा उन्हें दी गई मजदूरी में क्षति अवधि के दौरान निरंतर गिरावट आई है।

ख. प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा प्रति दिन उत्पादकता अप्रैल 2022 से जून 2023 की अवधि में बढ़ी, किंतु पीओआई में इनमें गिरावट दर्ज की गई।

च. वृद्धि

73. निम्नलिखित तालिका में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि से संबंधित मानदंड दर्शाए गए हैं।

तालिका - 12

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2021-22	अप्रैल 22 से जून 23 (वा.)	पीओआई
1	क्षमता	%	0	0	0
2	उत्पादन ~ पीयूसी	%	25	7	-56
3	घरेलू बिक्रियाँ	%	29	8	-57
4	लाभ/(हानि)	%	-230	421	-90
5	पीबीआईटी	%	-244	390	-89
6	नकद लाभ	%	-7,627	218	-81
7	आरओसीई	%	-245	309	-80

74. यह देखा गया है कि अप्रैल 2022 से जून 2023 तक सभी मानदंडों में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, किंतु पीओआई में मात्रा और कीमत दोनों मानदंडों में भारी नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। पीओआई में घरेलू उद्योग का उत्पादन तथा घरेलू बिक्री घट गई है। कीमत से संबंधित मानदंड, जिनमें लाभ, नकद लाभ, ब्याज और कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) तथा नियोजित पूंजी पर आय शामिल हैं, में भी पीओआई के दौरान भारी गिरावट दर्ज की गई है।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

75. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तीव्र गिरावट आई है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को भी नोट करते हैं कि उत्पाद के लिए वर्तमान आरओसीई ब्याज दायित्वों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है और इसलिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता प्रभावित हो रही है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षमताएँ, अन्य उत्पादों के उत्पादन हेतु आवश्यक क्षमताओं को बाहर रखने के बाद भी, देश में इस उत्पाद की वर्तमान और संभावित मांग को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से पर्याप्त हैं।

ज. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

76. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों का पंहुच मूल्य सम्पूर्ण क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम रहा है। यद्यपि 2022-23 तक पीयूसी पर लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण घरेलू उद्योग कम कीमत वाले संबद्ध आयातों के बावजूद पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी और वांछित कीमतें बनाए रखने में सक्षम था, किंतु पीओआई में शुल्क समाप्त होने के बाद घरेलू उद्योग को ऊपर जाँच किए गए सभी कीमत मानदंडों में घाटा उठाना पड़ा है। इस प्रकार, संबद्ध आयातों ने भारत में घरेलू कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

झ. पाटन की मात्रा

77. पाटन की मात्रा इस बात का संकेतक है कि किस सीमा तक आयात भारत में पाटित किए जा रहे हैं। इस जांच से यह सिद्ध हुआ है कि पीओआई के दौरान पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है।

छ. गैर-आरोपण और कारणात्मक संबंध

78. नियमावली के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य ऐसे ज्ञात कारक की जाँच की जाए, जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हों, ताकि उन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों पर आरोपित न किया जाए। नीचे यह जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दे सकते हैं।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

79. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) से निर्धारित न्यूनतम सीमा सीमा से अधिक आयात मौजूद हैं। औसत आधार पर यह देखा गया है कि यूएसए से आयात की कीमत चीन जन. गण. से आयात के कीमत से कम है। प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के सौदा-वार आयात आँकड़ों की जाँच की है और यह पाया है कि जहाँ यूएसए से आयात केवल बल्क रूप में हैं, वहीं चीन जन. गण. से आयात बल्क और पैकड दोनों रूपों में हैं। प्राधिकारी ने बल्क और पैकड को पृथक पीसीएन के रूप में माना है। चीन जन. गण. और यूएसए से बल्क रूप में आयात की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि यूएसए से आयात की कीमत कहीं अधिक है।

80. यह भी देखा गया है कि यूएसए से आयात मात्रा के संदर्भ में सतत नहीं हैं और क्षति अवधि के दौरान इनमें तीव्र गिरावट आई है। अतः ये आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकते।

ख. मांग में संकुचन और/या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

81. भारत में 2021-22 में मांग में गिरावट आई थी। तथापि, इसके बाद मांग में वृद्धि हुई और पीओआई तक यह बढ़ती रही। इस अवधि में संबद्ध देश से आयातों में तीव्र वृद्धि हुई है। अतः मांग में गिरावट को घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

ग. व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ

82. पीयूसी की बिक्री किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है और प्राधिकारी के संज्ञान में कोई व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं लाई गई है।

घ. प्रौद्योगिकी में विकास

83. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीयूसी के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

ङ. उत्पादकता

84. पीओआई में, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में तथा विशेष रूप से वर्ष 2020-21 की तुलना में, घरेलू उद्योग की प्रति दिन उत्पादकता, प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा वेतन और मजदूरी में गिरावट आई है, जो संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।

च. निर्यात निष्पादन

85. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पीओआई में घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन का अत्यंत अल्प हिस्सा निर्यात किया है। तथापि, उपर्युक्त रूप से जाँच की गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन पर आरोपित नहीं किया जा सकता।

छ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

86. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तु के निष्पादन से संबंधित आँकड़ों पर विचार किया है। अतः अन्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ज. पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

87. यद्यपि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है, तथापि प्राधिकारी निम्नलिखित तथ्यों को नोट करते हैं:

- क. संबद्ध देश से आयात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं तथा पाटन मार्जिन काफी अधिक है।
- ख. जहाँ एक ओर बिक्री लागत में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पंहुच मूल्य में कमी आई है।
- ग. पाटित आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत दोनों से कम हैं और उन्होंने घरेलू उद्योग की कीमतों में महत्वपूर्ण रूप से कटौती की है।
- घ. कम कीमत वाले आयातों में तीव्र वृद्धि हुई है और उन्होंने घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा कर लिया है। घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में आई गिरावट को देश में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि का परिणाम माना गया है।
- ङ. बाजार हिस्सेदारी में गिरावट के साथ, घरेलू उद्योग को बिक्री मात्रा में काफी अधिक हानि हुई है। देश में उत्पाद की मांग बढ़ने के बावजूद घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में कमी आई है।
- च. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में आई कमी के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- छ. आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग के पास स्टॉक में वृद्धि हुई है।
- ज. यह नोट किया गया है कि 2021-22 से पीओआई तक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसने इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के प्रचालन निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

88. प्राधिकारी ने यथा संशोधित नियमावली के अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। पीयूसी का एनआईपी, पीओआई के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देश से आयात के पंहुच मूल्य की तुलना एनआईपी के साथ की गई है। चीन जन गण के किसी भी उत्पादक/निर्यातक से सहयोग नहीं मिलने के कारण, पंहुच कीमत का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।
89. एनआईपी निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया है। उपयोगिताओं के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को माना गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा गैर-अनुवर्ती व्यय शामिल न किया जाए। नियमावली के अनुबंध III में यथा निर्धारित तथा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, एनआईपी निर्धारित करने के लिए पीयूसी के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थायी परिसंपत्तियाँ तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर-पूर्व 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई है।
90. उपर्युक्त रूप से निर्धारित पंहुच कीमत और एनआईपी के आधार पर, पीओआई के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसका विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है।

तालिका – 13**क्षति मार्जिन**

विवरण	एनआईपी अम डा./एमटी	पंहुच मूल्य अम डा./एमटी	क्षति मार्जिन		
			अम डा./एमटी	%	रेंज
कोई उत्पादक	***	***	***	***	10-20

झ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे**झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

91. अन्य किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा भारतीय उद्योग के हित के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

92. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) का प्रमुख रूप से उपयोग ग्लाइफोसेट और एटेनोलॉल के निर्माण में किया जाता है। इन उत्पादों पर शुल्क का प्रभाव क्रमशः 1.09% और 0.08% है।
- ख. घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता भारत की कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। भारतीय उद्योग इस उत्पाद में पूर्णतः आत्मनिर्भर है और प्रयोक्ताओं को आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

- ग. प्राधिकारी ने चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से आयातित मोनोआइसोप्रोपाइलएमीन पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जाँच के संबंध में दिनांक 20 दिसंबर 2022 के अंतिम निष्कर्ष में अंतिम उपभोक्ता पर शुल्क के प्रभाव की जाँच की थी, जो एट्राजीन के लिए लगभग 1.5% से 2%, ग्लाइफोसेट के लिए 0.09% और एटेनोलॉल के लिए 0.08% पाया गया था।
- घ. उत्पाद की कीमत पूर्व में अधिक थी। पीओआई के दौरान आयात कीमत में पाटनरोधी शुल्क जोड़ने के बाद भी पूर्व की कीमतें अधिक बनी रहती हैं। चूँकि पहले उच्च पंहुच मूल्य का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए वर्तमान में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ङ. पीयूसी का उपयोग एट्राजीन के निर्माण में किया जाता है, जो पहले से ही उस पर लगाए गए सब्सिडीरोधी शुल्क द्वारा संरक्षित है।
- च. संपूर्ण घरेलू आवश्यकता स्वदेशी स्रोतों से पूरी की जाती है। यदि घरेलू उद्योग भारत की मांग के अनुरूप पूर्ण क्षमता पर उत्पादन करता है, तो इससे घरेलू रूप से उत्पादित आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की मांग में कम से कम *** मीट्रिक टन की वृद्धि होगी, जो भारत में आईपीए के उत्पादन का लगभग 3% होगा। अतः एमआईपीए पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से अपस्ट्रीम उद्योग को भी लाभ होगा।
- छ. क्षति अवधि के दौरान पीयूसी का आयात मूल्य ₹120 करोड़ से अधिक रहा है। केवल पीओआई में ही पीयूसी का आयात मूल्य ₹63 करोड़ रहा, जिसमें से ₹60 करोड़ का आयात संबद्ध देश से किया गया।
- ज. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रतिवादी स्वयं संबद्ध वस्तु का प्रयोक्ता है, तथा पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में उसकी ओर से कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई है, यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुआ है।
- झ. संबद्ध देश को छोड़कर, संयुक्त राज्य अमेरिका से भी पर्याप्त मात्रा में आयात किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपूर्ति के अन्य स्रोत उपलब्ध हैं। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के लिए किसी प्रकार का एकाधिकार उत्पन्न नहीं होगा।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

93. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि क्या अनुशंसित पाटनरोधी शुल्क को लगाना जन हित के विरुद्ध है। यह निर्धारण रिकार्ड में उपलब्ध सूचना तथा भागीदार हितबद्ध पक्षकारों के हितों के विचार किए जाने पर आधारित है।
94. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी संबंधित पक्षकारों से विचार आमंत्रित करने हेतु राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, जिससे वर्तमान समीक्षा जाँच में पाटनरोधी शुल्क के उनके प्रचालन पर संभावित प्रभाव से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सके। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से आपूर्ति किए गए उत्पाद के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, स्रोत बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर शुल्क का प्रभाव तथा शुल्क के लागू रहने से उत्पन्न नई स्थिति के अनुकूलन में शीघ्रता या देरी करने वाले कारकों पर जानकारी मांगी।

95. यह नोट किया जाता है कि सामान्यतः पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य घरेलू उद्योग को पाटन जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं से होने वाली क्षति को समाप्त करना तथा भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुनः स्थापित करना है, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पीयूसी तथा भारत में संबद्ध वस्तु के प्रयोग से निर्मित अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, इन पाटनरोधी उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देश से कम कीमत वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन मानकों में हो रही गिरावट पर रोक लगेगी तथा पीयूसी के उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
96. प्राधिकारी द्वारा इस जाँच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) भेजी गई थी। केवल घरेलू उद्योग ने ही ईआईक्यू का उत्तर दिया। किसी अन्य भागीदार पक्ष ने लागू शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने हेतु कोई दावा या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अन्य हितधारकों के कोई अनुरोध नहीं करने और साक्ष्य के अभाव में निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने हेतु पाटनरोधी उपायों की आवश्यकता और अधिक सुदृढ़ हो जाती है।
97. प्राधिकारी ने एमआईपीए पर पाटनरोधी शुल्क का डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर संभावित प्रभाव की भी जाँच की है। ग्लाइफोसेट (41%) और एट्राजीन (50%) टेक्निकल के प्रति यूनिट उत्पादन में पीयूसी की खपत क्रमशः 0.2 किलोग्राम और 0.4 किलोग्राम है। दोनों ही मामलों में कीमत प्रभाव 2% से कम है।
98. प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में विचाराधीन वस्तु की किसी प्रकार की कमी उत्पन्न नहीं होगी। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमत पर उपलब्ध हों। अतः शुल्क लगाए जाने से उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। किसी भी स्थिति में, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में मांग से अधिक है, जिससे देश में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, अन्य कई देश भी भारतीय बाजार में पीयूसी की आपूर्ति कर रहे हैं तथा एक अन्य उत्पादक, मैसर्स बालाजी एमाइन्स, ने पीओआई के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है।

ब. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ब.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

99. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) उत्तरदाता ने "पिछले वर्ष" को गैर-वित्तीय वर्ष के रूप में मानने के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दा उठाया था, और प्राधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति का निर्णायक रूप से निर्णय लेने के बाद ही मुद्दों पर अनुरोध देने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखा था। तथापि, प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण जारी किया है और एक पैराग्राफ में औचित्य प्रदान किए बिना अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को खारिज कर दिया है।
- ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के. क्रैपैक बनाम भारत संघ मामले में कहा है कि अधिकारों को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक कार्रवाइयां प्राकृतिक न्याय की नियमावली के अधीन हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ [(1978) 1 एससीसी 248], में यह माना गया है कि अधिकारों को प्रभावित करने वाली कोई भी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। वर्तमान मामले में, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर एक तर्कपूर्ण निर्णय देने में निर्दिष्ट प्राधिकारी की विफलता ने प्रभावी रूप से जांच में भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया है।

- ग) तत्काल पिछला वर्ष वित्तीय वर्ष नहीं है। जांच की अवधि की प्राधिकारी की स्वीकृति ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां व्यापार सूचना में प्रदान किया गया वाक्यांश "अतिव्यापन हो सकता है" पूरी तरह से अनावश्यक हो गया है।
- घ) यदि कुछ देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, तो ऐसे शुल्क अन्य सभी देशों पर भी समान पाटन और क्षति का कारण बनने के लिए लागू होने चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की अनदेखी इस आवश्यक सिद्धांत का उल्लंघन करती है और जांच की वैधता को कमजोर करती है।
- ङ) जांच के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात को शामिल करने में प्राधिकारी की विफलता, या उनके क्षतिकारक प्रभावों की जांच और पृथक्करण के परिणामस्वरूप, क्षति का एक विकृत और अधूरा मूल्यांकन हुआ है, जो बाजार की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाता है।
- च) अमेरिका से क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन सकारात्मक है और इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में अमेरिका को शामिल नहीं करना क्षति विश्लेषण और कारणात्मक संपर्क विश्लेषण को कम करता है।

अ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

100. घरेलू उद्योग ने प्रकटन पश्चात निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षतिरहित कीमत को काफी कम कर दिया है। घरेलू उद्योग को कोई कारण नहीं बताया गया है। इसलिए घरेलू उद्योग अपनी टिप्पणियां देने में पूरी तरह से अक्षम है।
- ख) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस अनुरोध पर विचार नहीं किया है कि [मार्च-24 और मई-24] के महीनों में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन लगभग नगण्य उत्पादन के साथ [दिसंबर-23] में नहीं हुआ था। घरेलू उद्योग के उत्पादन का रुकना घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति को दर्शाता है।
- ग) 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्क अत्यंत आवश्यक है क्योंकि कम अवधि से घरेलू उद्योग को पाटित आयात से हुई काफी क्षति से उबरने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।
- घ) यहां तक कि अगर प्रयोक्ता चीनी बाजार से सोर्सिंग जारी रखना पसंद करते हैं, तो पाटनरोधी शुल्क लगाने से उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका जाएगा। पाटनरोधी उपायों का प्राथमिक उद्देश्य बाजार में एक समान बाजार को स्थापित करना है, ताकि उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सके।
- ङ) जांच की अवधि की आयात कीमत में पाटनरोधी शुल्क जोड़े जाने पर भी, पिछले समय में कीमत अधिक है। जब संबद्ध देश से इतनी ऊंची पहुंच कीमतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो पाटनरोधी शुल्क लगाने का भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- च) शुल्क का एक निश्चित प्रारूप उपयुक्त है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उत्पाद की कीमत में काफी वृद्धि हुई है। शुल्क के निश्चित रूप के अलावा किसी अन्य प्रकार का शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को हल नहीं करेगा।

अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

101. क्षतिरहित कीमत की गणना के संबंध में घरेलू उद्योग की टिप्पणियों पर, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध के अनुसार गणना की गई है। घटक-वार गैर-हानिकारक मूल्य, प्राधिकरण की स्थापित प्रथा के अनुसार, घरेलू उद्योग को प्रकट किया।
102. प्रतिभागी हितबद्ध पक्षकार के इस अनुरोध पर कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है, यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि और साथ ही क्षति की अवधि दोनों को स्पष्ट रूप से जांच शुरुआत अधिसूचना में ही निर्दिष्ट किया गया था। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच के सभी पहलुओं पर, जिसमें विचार की गई अवधि की उपयुक्तता भी शामिल है, अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त अवसर और पर्याप्त समय प्रदान किया गया था। यह भी नोट किया जाता है कि जांच के दौरान दो मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी। इसलिए, यह अनुरोध कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, गलत है। इसके अलावा, मौखिक सुनवाई के दौरान, हितबद्ध

पक्षकार ने अनुरोध किया था कि वह प्रदर्शित करेगा कि जांच की अवधि का चयन कैसे अनुचित था। तथापि, किसी भी लिखित अनुरोध में कोई अनुरोध यह सिद्ध करते हुए दायर नहीं किया गया था कि जांच की चयनित अवधि अनुचित या पूर्वाग्रहपूर्ण कैसे थी। यहां तक कि अपनी टिप्पणियों में भी, हितबद्ध पक्षकार ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि चयनित क्षति की अवधि अनुचित कैसे थी।

103. जहां तक यह तर्क दिया गया है कि क्षति की अवधि के चयन के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है, यह नोट किया जाता है कि प्रकटन विवरण में वर्तमान क्षति की अवधि पर विचार करने के लिए एक विस्तृत औचित्य शामिल है। हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि चयनित क्षति की अवधि परिपाटी से कैसे अनुचित या असंगत है। वर्तमान जांच में अपनाया गई क्षति की अवधि प्राधिकारी की सुसंगत और स्थापित परिपाटी के अनुरूप है।
104. इस अनुरोध के संबंध में कि अमेरिका से आयात के क्षतिकारक प्रभावों को अलग करने की आवश्यकता थी और इसके परिणामस्वरूप एक विकृत क्षति विश्लेषण हुआ है, यह नोट किया जाता है कि इस मुद्दे की प्रकटन विवरण में निहित कारणात्मक संपर्क विश्लेषण में पहले ही विस्तार से जांच की जा चुकी है। यह देखा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात न तो निरंतर है और न ही मात्रा में अधिक है और क्षति की अवधि में इसमें भारी गिरावट देखी गई है। आयात कीमतों की पीसीएन-वार तुलना से पता चलता है कि अमेरिका से आयात की कीमत चीन से आयात कीमतों की तुलना में काफी अधिक है। चीन से आयात की कीमत काफी कम है और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य स्रोतों से आयात की कीमतों को भी कम कर रही है। हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातों के संबंध में गैर-आरोपण विश्लेषण नहीं किया गया है, गलत है। प्राधिकारी यह पाते हैं कि अमेरिका से आयात को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण नहीं माना जा सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने स्वयं अपने आवेदन-पत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक संबद्ध देश के रूप में शामिल नहीं किया है या इन देशों से क्षति का दावा किया है। पाटनरोधी नियमावली प्राधिकारी को उन देशों के क्षेत्र से 3% से अधिक बाजार हिस्सेदारी वाले देश को बाहर करने से नहीं रोकते हैं, जहां परिस्थितियां ऐसी आवश्यक हों।

ट. निष्कर्ष

105. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त जांच परिणामों में दर्ज किया गया है, और पाटन, क्षति और घरेलू उद्योग के कारणात्मक संपर्क के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:
- क) विचाराधीन उत्पाद 'मोनोइसोप्रोपाइलामाइन' है, जिसे 'एमआईपीए' के नाम से भी जाना जाता है।
- ख) उत्पाद को दो अलग-अलग प्रकार के पैकेजिंग में बेचा जाता है - थोक और पैक किया हुआ। पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के उचित निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद के दो प्रकारों के बीच उचित तुलना के लिए अलग-अलग पीसीएन पर विचार किया गया है।
- ग) विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 29, उप-शीर्षक 2921 11 90, 2921 19 90 और 2921 19 20 के तहत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- घ) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यात किए गए संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) के संदर्भ में एक-दूसरे की समान हैं।
- ङ) जांच की अवधि में पात्र घरेलू उत्पादन का 100% हितस्सा आवेदक का है।
- च) आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करता है और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के तहत आधार की अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- छ) आवेदन-पत्र में पाटनरोधी जांच शुरू करने के उद्देश्य से सभी संगत पाटन और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(2) के संदर्भ में आवश्यक साक्ष्य शामिल थे ताकि पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में घरेलू उद्योग को पाटन और वास्तविक क्षति के निर्धारण के लिए वर्तमान जांच शुरू करने को उचित ठहराया जा सके।
- ज) चीनी उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश में काम करने वाला माना गया है क्योंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमावली के अनुबंध-1 पैरा 8 में उल्लिखित इस अनुमान का खंडन करने के लिए इस जांच में भाग नहीं लिया है।

- झ) सामान्य मूल्य की गणना घरेलू उद्योग के उत्पादन की अनुकूलित लागत के आधार पर उचित बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और लाभों के साथ की गई है।
- ञ) चीन जन.गण.से किसी भी उत्पादक/निर्यातक के सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंगुएडएस आंकड़ों के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है। चूंकि ये आंकड़े सीआईएफ शर्तों पर हैं, अतः कारखानागत स्तर पर निकालने के लिए पर्याप्त समायोजन किए गए हैं।
- ट) निर्यात कीमत से सामान्य मूल्य की तुलना करने पर यह पता चलता है कि देश में उत्पाद का काफी पाटन हो रहा है।
- ठ) यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन 35-45% की रेंज में है।
- ड) जांच की अवधि में आयात की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। पूर्ण दृष्टि से और सापेक्ष दृष्टि से आयात में तेजी से वृद्धि हुई है।
- ढ) जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को पिछले वर्ष की तुलना में कीमत ह्रास और न्यूनीकरण दोनों हुए हैं।
- ण) जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में भारी गिरावट आई।
- त) घरेलू उद्योग के पास मालसूची में क्षति की अवधि में वृद्धि हुई है।
- थ) जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई है।
- द) संबद्ध आयात की बाजार हिस्सेदारी बढ़ गई है जबकि घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी में क्षति की अवधि में गिरावट आई है।
- ध) घरेलू उद्योग ने कई आर्थिक मापदंडों में काफी नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।
- न) जांच में पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य कारक नहीं दिखा है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच सकती हो।
- प) आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से काफी कम है। क्षति का मार्जिन 10-20% की रेंज में है।
- फ) देश में मांग और आपूर्ति का अंतराल है। घरेलू उद्योग की क्षमता देश में मांग से अधिक है।
- ब) रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि दूसरे उत्पादक ने घरेलू जैसे उत्पाद का उत्पादन शुरू कर दिया है।
- भ) प्राधिकारी ने निचले स्तर के उत्पादों पर एमआईपीए पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव की भी जांच की है। ग्लाइफोसेट 41% और एट्राजिन (50%) तकनीकी के प्रति यूनिट उत्पादन में विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा क्रमशः 0.2 किलोग्राम और 0.4 किलोग्राम है। दोनों मामलों में कीमत प्रभाव 2% से कम है।
- म) अंतिम उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

ठ. सिफारिशें

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई और सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया और घरेलू उद्योग, ज्ञात निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कारणात्मक संपर्क और सिफारिश किए गए उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क की जांच शुरू करने और जांच करने पर प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना पाटन और क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक है। प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं और संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।
107. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं। तदनुसार, निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्याति संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	एचएस कोड#	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29211190, 29211990 और 29211920	मोनोइसोप्रोपाइलामाइन	चीन जन.गण	चीन जन.गण. सहित कोई देश	कोई उत्पादक	290	एमटी	यूएस डॉ.
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. को छोड़कर कोई देश	चीन जन.गण	कोई उत्पादक	290	एमटी	यूएस डॉ.

- सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक हैं और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं हैं।

ड. आगे की प्रक्रिया

108. इन अंतिम निष्कर्ष में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 23rd February, 2026

Case No. AD (OI) - 43/2024

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Monoisopropylamine” (MIPA) originating in or exported from China PR – reg.

F. No. 6/46/2024-DGTR - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, made thereunder, as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Anti-Dumping Rules” or the “Rules”),

1. **M/s Alkyl Amines Chemicals Limited** (hereinafter referred to as the “applicant” or “domestic industry”) filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 and the Anti-Dumping Rules for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of ‘**Monoisopropylamine**’ (MIPA) (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”) **from China PR** (hereinafter referred to as the “subject country”).

2. And whereas, in view of the duly substantiated application filed by the applicant, the Authority issued *vide* Initiation Notification F. No. 6/46/2024-DGTR, dated 30th December, 2024, published in the Gazette of India, initiating anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from China PR, in accordance with Rule 5 of the Anti-Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping of the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
- i. In accordance with Rule 5(5) of the Rules, before proceeding to initiate the investigation, the Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application.
 - ii. In accordance with Rule 6 of the Rules, the Authority issued a Notification No. 6/46/2024-DGTR dated 30th December 2024, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning the imports of the product under consideration from the subject country.
 - iii. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st July 2023 to 30th June 2024 (12 months). The injury investigation period for the present investigation is April 2020 to March 2021, April 2021 to March 2022, April 2022 to June 2023 and the POI.
 - iv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and the DG-Systems, to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period. The Authority received the data and has relied upon DGCI&S data for the necessary analysis after due examination of the transactions.
 - v. In accordance with Rule 6(2) of the Rules, the Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject country in India, the known producers, and exporters from the subject country, known importers and users in India, and the other interested parties, as per the email addresses made available by the applicant.
 - vi. In accordance with Rule 6(3) of the Rules, the Authority provided a copy of the non-confidential version (NCV) of the application to the known producers/ exporters and to the Embassy of the subject country in India.
 - vii. In accordance with Rule 6(4) of the Rules, the Authority sent exporter's questionnaire to the known producers/exporters in subject country.
 - viii. The Authority sent questionnaires to the government of the subject country through their embassy in India. The Government of the subject country was requested to forward the Initiation Notification and the questionnaires to the producers/exporters of the subject goods and advise them to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
 - ix. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - 1 M/s Anhui Haoyuan Chemical Group Co. Ltd.
 - 2 M/s Taizhou Jianye Chemical Co. Ltd.
 - 3 M/s Zhejiang Xinhua Chemical Co. Ltd.
 - x. In response to the initiation notification, M/s Anhui Haoyuan Chemical Group Co., Ltd. registered themselves as an interested party in the investigation.
 - xi. Subsequently, M/s Anhui Haoyuan Chemical Group Co., Ltd. withdrew their registration as an interested party and did not file the exporter's questionnaire response. Accordingly, they are treated as non-cooperative in the present investigation.
 - xii. The Authority sent importers and user's questionnaire to the following known importers of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) & (5) of the Rules respectively.

- 2 M/s Agrow Allied Ventures Private Limited
- 3 M/s Amri India Pvt. Ltd.
- 4 M/s Atul Limited
- 5 M/s Chemo India
- 6 M/s Coromandel International Ltd.
- 7 M/s Crystal Crop Protection Pvt. Ltd.
- 8 M/s CTX Life Sciences Pvt. Ltd.
- 9 M/s Excel Crop Care Ltd.
- 10 M/s Fleming Laboratories Ltd.
- 11 M/s Heranba Industries Ltd.
- 12 M/s HPM Chemicals and Fertilizers Limited
- 13 M/s Insecticides India Ltd.
- 14 M/s IPCA Laboratories Limited
- 15 M/s Jai Shree Rasayan Udyog Ltd.
- 16 M/s K Rasiklal Exim Pvt Ltd
- 17 M/s Ketan Chemical Corporation
- 18 M/s Koprana Research Laboratories
- 19 M/s Krishna Solvechem Ltd.
- 20 M/s Lakshmi Saras Chem Tech Pvt. Ltd.
- 21 M/s Leo Chemplast Pvt. Ltd.
- 22 M/s Malladi Drug & Pharmaceuticals Limited
- 23 M/s Medi Pharma Drug House
- 24 M/s Meghmani Organics Ltd.
- 25 M/s Nutron Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
- 26 M/s OC Specialities Pvt. Ltd.
- 27 M/s Orion Chem Pvt. Ltd.
- 28 M/s Polydrug Laboratories Pvt. Ltd.
- 29 M/s Ratnachand & Company
- 30 M/s Sangrore Laboratories Pvt. Ltd.
- 31 M/s TASC Chemical Industries Pvt. Ltd.
- 32 M/s Vedant Life Sciences Pvt. Ltd.
- 33 M/s Venus International

- xiii. In response to the initiation notification, only M/s Crystal Crop Protection Ltd. registered themselves as an interested party in the investigation.
- xiv. A copy of the initiation notification and non-confidential version (NCV) of the application was sent to the known associations.
- xv. The Authority issued an Economic Interest Questionnaire (EIQ) to assess public interest and the impact of the duties on the wider economy. The EIQ was also shared with the concerned administrative Ministry/Department. However, only the domestic industry has submitted the EIQ, and no other interested party has filed it.
- xvi. A list of all interested parties that registered themselves within the prescribed timeline was uploaded on the DGTR website. All registered interested parties were directed to circulate the NCV of all their submissions in the present proceedings with all other interested parties along with the Authority.
- xvii. The Authority has taken note of the O.M. No. C-II-13012/8/2025-CHEM TECH.-CPC dated 24.06.2025, received from the Department of Chemicals & Petrochemicals, which records the stakeholder consultation conducted by the concerned line Ministry/Department. The said O.M. summarises the key submissions, including the domestic industry's claim concerning injury from surged imports and the contention by the Pesticide Manufacturers and Formulators Association of India (PMFAI) regarding the cause of price difference and the potential adverse impact of duty imposition on the competitiveness of the downstream agro-chemical sector. The comments of the administrative ministry has been duly examined in the relevant headings of this final findings.
- xviii. In accordance with Rule 6(6), the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held on 16th July 2025. Subsequently, due to a change in Designated Authority, a second oral hearing was held on 4th December 2025. The parties

- presenting their views in the oral hearing were directed to make written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xix. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information in a timely manner during the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings based on the facts available.
- xx. In accordance with Rule 7, information provided by the interested parties on confidential basis was examined by the Authority with regard to the sufficiency of the confidentiality claimed. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient NCV of the information filed on confidential basis.
- xxi. In accordance with Rule 8, the Authority conducted verification of the data provided by the domestic industry to the extent considered necessary for the present proceedings. The Authority has considered the verified data of the interested parties in its analysis in the present case.
- xxii. The Authority calculated the non-injurious price (NIP) for the product under consideration so as to ascertain whether duties lower than the dumping margin would be sufficient to remedy the injury being suffered by the domestic industry. The NIP has been calculated based on the optimum cost of production and cost to produce and sell the domestic like article in India, based on the information furnished by the domestic industry and having regard to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). The NIP has been determined in accordance with the principles laid down in Annexure III to the Anti-Dumping Rules.
- xxiii. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 29th January, 2026 and the interested parties were allowed time up to 5th February, 2026 to file comment on the same. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in these final findings.
- xxiv. The Authority examined the issues raised, information provided, and submissions made by the domestic industry and the other interested party during the course of the investigation, to the extent they were supported by evidence and considered relevant to the present purposes, in making the final findings.
- xxv. In this final findings, “***” represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxvi. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$ 1 = ₹ 84.00.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration (PUC) was defined as under:

“3. The product under consideration (PUC) in the present investigation is ‘Monoisopropylamine’, also known as ‘MIPA’.

4. MIPA is an organic compound, an amine. It is a hygroscopic colourless liquid with ammonia-like odour. Its melting point is -95.2°C and its boiling point is 32.4°C . It is miscible with water. It is extremely flammable, with flash point at -37°C . MIPA is produced in anhydrous (99.5%) form. Diluted form is obtained by adding water to anhydrous form which concentration level reduced to desired level as per buyer’s requirement. It is commercially sold both in anhydrous form and aquatic form depending on the application or end use.

5. The product is used in glyphosate herbicide formulations, a key component of atrazine (another herbicide), as a regulating agent for plastics, as intermediate in organic synthesis of coating materials, plastics, pesticides, rubber chemicals and pharmaceuticals and as an additive in the petroleum industry.

6. *The PUC does not have a dedicated HS code. It is imported under Chapter 29, under the sub-heading 2921 11 90, 2921 19 90 and 2921 19 20 of Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the PUC.*”

B.1 Submission by the other interested party

5. The other interested party has not made any submission with regard to the PUC and like article.

B.2 Submission by the domestic industry

6. The domestic industry has made the following submissions with regard to the PUC:

- i. The PUC is Monoisopropylamine, also known as MIPA.
- ii. The PUC is sold in anhydrous form and aquatic form depending on the application or end use.
- iii. The PUC is imported in two forms - bulk and packed and there is sufficient difference in the price of both to justify framing PCN methodology.
- iv. The PUC does not have a dedicated HS code. It is imported under Chapter 29, under sub heading 2921 11 90, 2921 19 90 and 2921 19 20 of Customs Tariff Act, 1975.
- v. There is no known difference in the like article produced by the domestic industry and the PUC exported from the subject country.

B.3 Examination by the Authority

7. The PUC in the present investigation is ‘Monoisopropylamine’, also known as ‘MIPA’.
8. The Authority notified the scope of the PUC and the product control numbers (PCNs) methodology in the notice of initiation. The interested parties were asked to provide their comments on the PUC/PCNs methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.
9. None of the interested parties filed any comments on the scope of the PUC and the PCNs methodology. Accordingly, the Authority confirmed the same scope of the PUC as given in the notice of initiation for the purpose of the present investigation, and notified the following as the PCNs methodology for the purpose of providing relevant information.

Table - 1

SN	PCN
1	MIPA Bulk
2	MIPA Packed

10. No further submissions have been received from any interested party either on the scope of the PUC or on the PCNs methodology.
11. In view of the foregoing, the Authority confirms the scope of the PUC as below.

“3. The product under consideration (PUC) in the present investigation is ‘Monoisopropylamine’, also known as ‘MIPA’.

4. MIPA is an organic compound, an amine. It is a hygroscopic colourless liquid with ammonia-like odour. Its melting point is -95.2°C and its boiling point is 32.4°C . It is miscible with water. It is extremely flammable, with flash point at -37°C . MIPA is produced in anhydrous (99.5%) form. Diluted form is obtained by adding water to anhydrous form which concentration level reduced to desired level as per buyer’s requirement. It is commercially sold both in anhydrous form and aquatic form depending on the application or end use.

5. The product is used in glyphosate herbicide formulations, a key component of atrazine (another herbicide), as a regulating agent for plastics, as intermediate in organic synthesis of

coating materials, plastics, pesticides, rubber chemicals and pharmaceuticals and as an additive in the petroleum industry.

6. *The PUC does not have a dedicated HS code. It is imported under Chapter 29, under the sub-heading 2921 11 90, 2921 19 90 and 2921 19 20 of Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the PUC.”*

12. There is no known difference between the PUC exported from the subject country and the like article supplied by the domestic industry. The PUC produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and consumers can use them interchangeably. The Authority therefore holds that the product produced by the domestic industry is a like article to the imported product.

C. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

C.1 Submission by the other interested party

13. The other interested party has not made any submission with regard to the scope of the domestic industry or its standing.

C.2 Submission by the domestic industry

14. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and its standing:
- i. The domestic industry is the sole producer and there are no other producers of the like article in India.
 - ii. The domestic industry has not imported the PUC in the POI from the subject country.
 - iii. The domestic industry is not related to any exporters in the subject country or importers of the PUC into India.

C.3 Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

16. The application has been filed by M/s Alkyl Amines Chemicals Limited. During the course of the investigation, the Authority made efforts to ascertain the existence of any other domestic producers, including by issuing letters to known producers of the like article in India. No information indicating production of the like article by any other producer during the POI was received. The applicant has, however, informed that M/s Balaji Amines Limited commenced production in the post-POI period. The Authority notes that production commencing after the POI does not affect the determination of standing under Rule 5, which is required to be examined with reference to the POI of the present investigation.
17. Thus, as per the information on record, the applicant was the only producer of the like article in India during the POI. It is also noted that the domestic industry is neither related to any exporter or

producer of the PUC in the subject country nor to any importer of the PUC in India either directly or indirectly within the meaning of Rule 2(b) of the Rules.

18. Therefore, the Authority holds that the applicant constitutes the ‘domestic industry’ as defined under Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the requirements of ‘standing’ under Rule 5(3) of the Rules.

D. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

D.1 Submission by the other interested party

19. The other interested party has made the following miscellaneous submissions:
- i. The application filed by the applicant and the initiation notification violated Trade Notice No. 2/2004 dated 12th May 2004 since an application for anti-dumping duty is required to invariably contain information for the POI and previous three financial years.
 - ii. The applicant manipulated injury period and provided information for 2020-21, 2021-22, April 2022-June 2023 (15 months) and the POI and the Authority has violated the Trade Notice by taking 15 months period as immediately preceding year for the purpose of the investigation in the initiation notification without providing any justification for the same. Till the time the Authority renders its reasoned decision on the preliminary objections raised, in light of the legal position taken by the Authority before the Hon’ble Gujarat High Court in the matter M/s Meghmani Organics Limited vs. Union of India, the respondent reserve right to comment on the written submissions filed.

D.2 Submission by the domestic industry

20. The domestic industry has made the following miscellaneous submissions:
- i. On the submission that the injury period is not proper, the interested party had provided assurance to the Authority during the oral hearing that it would provide relevant instances wherein similar POIs have been objected to by the Authority. However, such assurances remain empty with no instances cited by other interested party.
 - ii. Considering the fact that the application was filed in October 2024, so as to ensure that the injury analysis is not distorted and to remain compliant with Trade Notices No. 02/2004 & 2/2021, the present injury period had to comprise of April 2020 to March 2021, April 2021 to March 2022, April 2022 to June 2023 and July 2023 to June 2024. This ensures that the injury period preceding the POI covers the financial year April 2022 to March 2023 while also leaving no gaps over the entire injury period.
 - iii. The injury period considered by the applicant is in line with the practice of the Authority. Similar approach has been followed by the Authority in *anti-dumping investigations on saturated fatty alcohols, anti-dumping investigation on color coated/pre-painted flat products of alloy or non-alloy steel, anti-dumping investigation on acrylonitrile butadiene rubber and countervailing duty investigation on castings for wind operated electricity generators.*
 - iv. The respondent has not provided any evidence to show that the selection of the injury period has distorted the Authority’s examination.

D.3 Examination by the Authority

21. The submission made by the other interested party with regard to selection of the injury period has been analysed. In this regard, reliance is placed on Trade Notice No. 2/2004 dated 12th May 2004 and Trade Notice No. 02/2021 dated 6th April 2021, relevant part of which are extracted below:

“2. Trade & Industry is advised that the following requirements should also be kept in view while making the application for anti-dumping investigation: ...”

“(iii) Application should invariably contain information and data relating to the proposed period of investigation (POI) and previous three financial years. There should be no gap but there can be overlap between the POI and the previous financial years. The data for previous three years would be utilized for trend analysis for determination of injury.”

22. The Authority notes that the primary contention of the interested party is that the preceding year in the present case is a 15-month period and non-financial year. The Authority notes that in the present case, the application was filed with period of investigation as July 2023 to June 2024 and the periods 2020-21, 2021-22, April 2022 to June 2023 and July 2023 to June 2024 as the injury period. Considering the injury period as 2020–21, 2021–22, April 2022 to June 2023 and July 2023 to June 2024, ensured that the period preceding the period of investigation covers the financial years and there was no gap between the periods. Had the applicant considered 2020–21, 2021–22, 2022–23, April 2023 to June 2023 as the preceding year it would have resulted in the immediately preceding year to the period of investigation to be of only 3 months and the same would have distorted the entire analysis. At the same time if the period of April 2023 to June 2023 had been excluded, it would have resulted in gap over the injury period. The interested party during the investigation claimed that it would provide past practice establishing that the period of investigation in the present investigation is inconsistent. The Authority notes that no such information has been provided by the interested party. On the contrary, the domestic industry has provided various past investigations wherein the immediately preceding year was a non-financial year. It is also noted that consideration of a fifteen-month period as the immediately preceding period did not cause any prejudice or adverse impact on the outcome of the investigation or on bona fide interests of any set of interested parties. It is therefore considered that selecting the present injury period is in line with the consistent laid practice of the Authority.
23. Regarding the reliance of interested parties on the decision of the Hon’ble Gujarat High Court in *M/s Meghmani Organics Limited vs. Union of India*, the Authority notes that the matter concerned the anti-dumping investigation into imports of Diethyl Thio Phosphoryl Chloride, where the importer challenged the initiation notification. In that instance, the Authority informed the High Court that the primary objections raised by interested parties would be addressed after providing them an opportunity to be heard. Following a hearing and the submission of comments, those objections were duly considered. In the present case, the Authority has held two oral hearings, ensuring that interested parties have been provided sufficient opportunity to file their submissions.

E. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

E.1 Submission by the other interested party

24. The other interested party has not made any submission with regard to normal value, export price and dumping margin.

E.2 Submission by the domestic industry

25. The domestic industry has made the following submissions with regard to normal value, export price and dumping margin:
- i. China PR should be treated as a non-market economy (NME) in accordance with Article 15(a)(i) of China’s Accession Protocol and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules.
 - ii. On 11th December 2016, only the provisions of Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol expired but that of Article 15(a)(i) continue to remain in force, which requires the producers/exporters from China PR to establish that they are operating under the market economy conditions.
 - iii. No producer/exporter from China PR have participated in the present investigation and therefore the claims of normal value, export price and dumping margin made by the domestic industry remain undisputed.

- iv. For the determination of normal value, data relating to cost and price in a market economy third country is not available.
- v. The PUC is produced in India, China PR, European Union and United States of America. While the product has a dedicated code in China PR, it does not have a dedicated code in EU or USA.
- vi. Normal value should be based on price actually paid or payable in India, duly adjusted with selling, general & administrative expenses along with a reasonable profit margin.
- vii. For determining price payable in India, the raw material price of isopropyl alcohol should be based on international prices considering the Authority recently found the price in India to be at dumped price.
- viii. The applicant had not considered expenses such as credit costs, inventory carrying cost and secondary packaging as an adjustment. The applicant requests the Authority to consider these expenses as well in the calculation of the export price.
- ix. The absence of participation from producers/exporters from China PR shows that the export price might be lower than that claimed by the domestic industry.

E.3 Examination by the Authority

E.3.1 Normal value

26. The Authority notes the following relevant provisions under Para 7 and Para 8 of Annexure I to the Anti-Dumping Rules with regard to the determination of normal value for China PR.

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

“8. (1) The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to

depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization.”

27. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption of treating China PR as an NME country. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information on whether their data/information could be adopted for normal value determination. The Authority sent copies of the market economy treatment/ supplementary questionnaire to all the known producers/exporters in China PR to provide relevant information in this regard.

28. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of

accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

29. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) of the Accession Protocol to the WTO Anti-Dumping Agreement have expired on 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO anti-dumping agreement read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.
30. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a)(ii) have expired on 11th December 2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15(a)(i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.
31. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR have participated in this investigation to rebut this presumption as mentioned in para 8 of Annexure-I of the Rules. Under these circumstances, the Authority has to proceed in accordance with para 7 of Annexure-I of the Rules.
32. It is noted that paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules stipulates three methods of constructing the normal value for NMEs: (a) on the basis of price or constructed value in a market economy third country; (b) export price from a third country to other countries, including India; and (c) on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. The Authority notes that under the provisions of paragraph 7 of Annexure-I to the AD Rules, the normal value must be determined on the basis of the price or constructed value in a surrogate country, the price of the exports from such country to other countries, including India, or on any other reasonable basis.
33. At the stage of filing the application, the domestic industry had submitted that the normal value for China PR should be constructed based on the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin.
34. No information/evidence has been provided by the interested parties for the consideration of the normal value on the basis of the first and second methods. Therefore, the Authority has decided to construct normal value (CNV) based on the third method, i.e., on any other reasonable basis. Under this, the normal value can be determined based on price actually paid or payable in India. For this purpose, the Authority has considered the optimised cost of production of the domestic industry, with a reasonable addition of selling, general & administrative expenses and profits.
35. The Authority notes in *anti-dumping investigation concerning imports of "Isopropyl Alcohol" originating in or exported from China PR* that the raw material required to produce the PUC is ammonia and isopropyl alcohol. The Authority *vide* Final Finding No. 6/09/2023-DGTR dated 14th August 2024, had concluded that Iso-Propyl Alcohol was being exported to India from China PR at dumped prices and the Indian industry's prices were adversely affected by it. The Authority therefore holds that the if these raw material prices in India are considered for the purpose of calculation of cost of production, it would imply determination of normal value based on prices that itself is dumped. It is also seen that none of the interested parties have disputed the claim of the domestic industry. As per the data submitted by the domestic industry, IPA is procured domestically, and the Authority has considered the same for the purpose of determination of the cost of production in India.

36. The normal value for China PR has been determined on the basis of price payable in India calculated as per cost of production in India, duly adjusted for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. Separate normal value has been determined for bulk and packed goods. The normal value so determined is provided in the dumping margin table below.

E.3.2 Export price

37. In the absence of cooperation from any producers/exporters from China PR, the Authority has determined the net export price on the basis of DGCI&S data. Since this data is on CIF terms, adequate adjustments have been made to arrive at ex-factory level. The export price for bulk and packed goods has been determined separately. The weighted average ex-factory export price, as determined, is shown in the dumping margin table below.

E.3.3 Dumping margin

38. Considering the normal value and the export price for the PUC, the dumping margin for the PUC from the subject country has been determined as follows:

Table - 2
Dumping Margin

Particulars	Normal Value (CNV) US\$/MT	Export Price US\$/MT	Dumping margin		
			US\$/MT	%	Range
Any Producer	***	***	***	***	35-45

F. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

F.1 Submission by the other interested party

39. The other interested party has not made any submission with regard to assessment of injury and causal link.

F.2 Submission by the domestic industry

40. The domestic industry has made the following submissions with regard to assessment of injury and causal link:
- 2020-21 should be excluded from injury analysis as the domestic industry suffered in this period due to factors other than dumping. The COVID-19 pandemic outbreak had caused a shortage of isopropyl alcohol, used as a raw material for the subject good which impacted the production.
 - Imports in 2020-21 were high because the plant of the domestic industry was shut down and because of uncertainties in the market
 - Demand in India declined in 2021-22 due to (a) decline in demand for MIPA-70% & (b) excess imports in 2020-21. MIPA-70% is used in the manufacturing of glyphosate (*herbicide*) which is used to remove weeds.
 - The demand for glyphosate is seasonal in nature and there was excess rainfall and floods in 2021-22 in several parts of India, which led to the decline in demand for glyphosate and consequently impacted the demand for MIPA as well.
 - Adverse impact of dumping of the PUC started in the POI when anti-dumping duty that was already in place expired with the domestic industry suffering in both profit and price parameters.
 - From 2021-22 to the POI, imports in absolute terms and imports in relation to Indian production and consumption have increased significantly.

- vii. Imports from the subject country have continued to enter the domestic market below the domestic industry's cost of sales over the entire injury period with this gap intensifying in the POI post the expiry of anti-dumping duty.
- viii. The landed price of imports was below the selling price of the domestic industry in the POI, and the price undercutting is significantly positive.
- ix. The decline in landed price in the POI had forced the domestic industry to reduce its selling price, thereby depressing the prices.
- x. Despite the capacity of the domestic industry not being dedicated to produce the like article, the domestic industry still had sufficient capacity to cater the entire Indian demand.
- xi. Production and capacity utilisation has declined steeply in the POI.
- xii. The production and sales of the domestic industry in the POI were below the level of 2020-21 when the domestic industry faced issues because of COVID-19 pandemic-imposed lockdown and challenges in procurement of raw material.
- xiii. The domestic industry had not undertaken any production of the like article in two months in the POI.
- xiv. While the monthly import volume was hardly 100 MT in 2021-22 and from April, 2022 to June, 2023, it had shot up to almost 500 MT towards the end of POI and the applicants' domestic sales have come down from [***] MT to a range of [***] MT per month.
- xv. The impact of the dumped imports had been so adverse that consumers who had entered into contract had ultimately fulfilled their requirements through the low-priced imports.
- xvi. As the domestic industry resumed complete production in 2021-22, its market share increased in 2021-22. The market share declined marginally in 2022-23 and thereafter declined by ***% in the POI in comparison to the immediately preceding year.
- xvii. In the POI, despite increase in demand, the inventory had increased and had remained at an all-time high in comparison to the injury period.
- xviii. The profitability of the domestic industry was negative in 2020-21 & low in 2021-22 because of unavailability of raw material. Profitability increased thereafter in the year 2022-23.
- xix. Once the anti-dumping duty expired in the POI, domestic industry's profit per unit in between the two years (*POI and immediately preceding year*) has declined by almost ₹ [***] per MT which is three times the profit in the POI and the profit on gross domestic sales declined by 90%.
- xx. Productivity per day, productivity per employee and salaries and wages of the domestic industry had declined in the POI.
- xxi. There is no incentive for any producer to enter into this product. The current return on capital employed (ROCE) in the product will not even feed interest obligations and therefore, the ability to raise capital investment is impacted.
- xxii. There are no other causes which could cause injury to the domestic industry apart from the subject imports.
- xxiii. Other than the subject country, while there were imports from the United States above the *de-minimis* limit, the price of such imports is much above the price at which imports from the subject country are being imported into the domestic market. These imports are not continuous in volume and do not enter the domestic market in every month.
- xxiv. The dumping margin determined in the subject imports is above *de-minimis* limit and significant.

F.3 Examination by the Authority

41. Rule 11 of Anti-Dumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...*". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as

production, capacity utilisation, sales volume, inventory, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.

42. The other interested party have not made any submissions on the injury claimed by the domestic industry.
43. Anti-dumping duties were levied on the imports of PUC from the subject country *vide* Ministry of Finance Notification No. 14/2018-Cus (ADD), dated 21-03-2018. A sunset review was initiated on dated 15th September 2022 and the Final Finding was notified *vide* No. 7/12/2022-DGTR dated 20th December 2022. Wherein the Authority noted that there is likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duties. However, the MOF did not continue anti-dumping duties after the positive recommendations from DGTR.
44. Anti-dumping duties were applicable on imports of the PUC from China PR till 20th March 2023. The injury analysis below has been undertaken considering the applicability of anti-dumping duty till this period.
45. The domestic industry had contended that the period 2020-21 should be excluded from injury analysis because of disruptions caused by COVID-19 pandemic outbreak. The Authority notes that in the period 2020-21, isopropyl alcohol, a primary raw material for the PUC was diverted for production of sanitisers. It is seen that the domestic industry was forced to suspend production in this period for some time due to high price and unavailability of raw material. The Authority also notes that in the previously conducted sunset review investigation on the PUC, this disruption in the period 2020-21 was also examined and DGTR held as follows:

43. As regards the performance in 2020-21, it has been clarified by the applicant that this period witnessed a shortage of raw materials as well as a significant increase in the prices of the raw materials. However, there was also significant rise in the volume of subject imports from the subject country as well as the non-subject countries. The applicant was also forced to suspend its production during this period due to shortage of raw materials and has resultantly suffered losses.

46. The Authority notes that inclusion of the period 2020-21 in the injury analysis would not be appropriate.

F.3.1 Assessment of demand/apparent consumption

47. For the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Table - 3

S N	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	Apr 22 to Jun 23 (A)	POI
1	Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	129	175	59
3	Imports from subject country	MT	1,956	592	1,195	4,268
4	Trend	Indexed	100	30	61	218
5	Imports from other countries	MT	1,432	195	274	179
6	Trend	Indexed	100	14	19	13
7	Demand/ consumption	MT	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	79	94	94

48. Based on the above information, it is noted that the demand/consumption of the product declined in 2021-22 as compared to 2020-21. Thereafter, demand registered an increase in the subsequent periods.
49. The domestic industry has submitted that the decline in demand in 2021-22 was on account of reduced requirement of MIPA-70%, which is used in the production of glyphosate. Glyphosate is a seasonal product used for weed removal, and due to excess rainfall and floods in several parts of the country during 2021-22, the demand for glyphosate reduced, which in turn impacted the demand for MIPA. The domestic industry has further contended that excess imports in 2020-21 also affected the demand pattern in the subsequent period.

F.3.2 Volume effect of the dumped imports

50. With regard to the volume of imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports from the subject country, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The same is analysed in the table below.

Table - 4

S N	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	Apr 22 to Jun 23 (A)	POI
1	Imports from subject country	MT	1,956	592	1,195	4,268
2	Trend	Indexed	100	30	61	218
3	Imports from other countries	MT	1,432	195	274	179
4	Trend	Indexed	100	14	19	13
<i>Imports from subject country in relation to</i>						
5	Indian production	%	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	24	46	370
7	Indian demand	%	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	39	65	233
9	Total imports	%	58	75	81	96
10	Trend	Indexed	100	130	141	166

51. It is observed that imports from the subject country declined sharply in 2021-22 as compared to 2020-21 and thereafter increased in the period April 2022 to June 2023. With the expiry of the anti-dumping duty in March 2023, the volume of imports from the subject country increased sharply during the POI.
52. Imports from the subject country in relation to Indian production increased by 22 index points in April 2022 to June 2023 as compared to 2021-22. The imports in relation to Indian production further increased by 324 index points in the period of investigation.
53. Imports from the subject country in relation to Indian demand increased by 165 index points in the period of investigation. While demand during the period of investigation remained almost at the same level as in 2021-22, imports from the subject country rose disproportionately, showing a steep increase in their share. Further, the share of imports from the subject country in total imports also increased consistently from 2021-22 to the period of investigation.

F.3.3 Price effect of the dumped imports

54. With regards to the effect of the dumped imports on prices of the domestic industry, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise

to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realisation (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports of the subject goods from the subject country.

a. Price undercutting

55. For the purpose of price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed price of imports from the subject country. Accordingly, the effects of the dumped imports from the subject country are as follows:

Table - 5

SN	Particulars	UoM	Bulk	Packed	POI
1	Import volume	MT	751	3,517	4,268
2	Net sales realisation	₹/MT	***	***	***
3	Landed price	₹/MT	1,44,277	1,59,916	1,57,164
4	Price undercutting	₹/MT	***	***	***
5	Price undercutting	%	***	***	***
6	Price undercutting	Range %	15-25	25-35	25-35

56. The Authority has first compared the selling price of the domestic industry for both the PCNs and then weighted average comparison has been done. The weighted average selling price has been calculated considering selling price of each of the PCN and the associated weight of imports for each PCN.
57. The Authority notes that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry and the price undercutting is positive and significant. The domestic industry has contended that price undercutting was positive in previous years as well, but the injurious effect of dumped imports was remedied through the anti-dumping duty in force.

b. Price suppression/depression

58. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period are compared as below:

Table - 6

S N	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	Apr 22 to Jun 23 (A)	POI
1	Selling price	₹/MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	100	114	107
3	Change	₹/MT	***	***	***	***
4	Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
5	Trend	Indexed	100	96	101	102
6	Change	₹/MT	***	***	***	***
7	Landed price	₹/MT	1,33,960	1,65,882	1,68,758	1,57,164
8	Trend	Indexed	100	124	126	117
9	Change	₹/MT	-	31,922	2,877	-11,594
10	Landed price including ADD	₹/MT	1,80,597	2,12,612	2,19,964	1,57,164

59. The Authority has compared the selling price and cost of the domestic industry on average basis (for PUC as a whole and not for individual PCN). For calculating weighted average selling price and cost of sales, the associated weight of domestic industry's sales for each PCN has been considered.
60. Based on the above, the Authority notes that:
- The domestic industry was incurring losses in 2020-21. In 2021-22, while the cost of sales declined by ₹*** per MT as compared to 2020-21, the selling price declined only marginally by ₹*** per MT. Consequently, the domestic industry recovered from losses and earned profits in this period.
 - In the period April 2022 to June 2023, while the cost of sales increased by ₹*** per MT as compared to 2021-22, the selling price increased more significantly by ₹*** per MT.
 - In the POI, when the anti-dumping duty on the PUC had expired, the cost of sales increased by ₹*** per MT, whereas the selling price declined by ₹*** per MT.
 - The landed price of imports from the subject country were priced below the cost of sales of the domestic industry over the entire injury period. However, anti-dumping duty was in force till March 2023 which had remedied the injurious effect of dumped imports.
 - In the POI, the landed price of imports declined by ₹ *** per MT, even though there was no decline in the cost of sales.
61. It is thus seen that the subject imports have depressed and suppressed the prices of the domestic industry in the POI.

F.3.4 Economic parameters of the domestic industry

62. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

a. Production, capacity, capacity utilisation and sales volumes


63. The capacity, production, sales and capacity utilisation of the domestic industry over the injury period is given in the following table:

Table - 7

S N	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	Apr 22 to Jun 23 (A)	POI
1	Capacity	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	100	100	100
3	Total production (PUC and NPUC)	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	126	124	81
5	Capacity utilisation (Plant)	%	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	126	124	81
7	Production ~ PUC	MT	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	125	133	59
9	Domestic sales	MT	***	***	***	***
10	Trend	Indexed	100	129	140	59

64. Based on the above, the Authority notes that:

- a. The capacity of the domestic industry has remained the same throughout the injury period.
- b. The domestic industry has submitted that besides the PUC, di-isopropyl amine, 2 ethyl hexylamine and 2 ethoxy ethylamine are also produced at the same location. The domestic industry has submitted that the demand for these products is cumulatively *** to *** MT per annum.
- c. While the capacity of the domestic industry is not dedicated to producing the PUC alone, it has been contended that the capacity is, however, sufficient to cater to the demand for the PUC.
- d. The production of the PUC by the domestic industry increased until the period April 2022 to June 2023 and thereafter declined significantly in the POI. The PUC production of the domestic industry in the POI declined by about 53% as compared to 2021-22 and by about 56% as compared to the immediately preceding period. Consequently, the capacity utilisation with respect to the PUC also registered a decline in the POI.
- e. The domestic sales of the domestic industry increased till the period April 2022 to June 2023 and declined thereafter in the POI. The domestic sales in the POI have declined by 54% in comparison to 2021-22 and by 57% in comparison to immediately preceding year.
- f. The demand for the PUC has seen an increase over this period. While the demand increased, the domestic sales of the domestic industry declined.



b. Market share

65. The market share of the domestic industry and imports of the product into India is shown in the table below:

Table - 8

S. No.	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	Apr 22 to Jun 23 (A)	POI
1	Domestic industry	%	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	164	186	63
3	Subject country	%	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	39	65	233
5	Other country	%	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	17	20	13

66. Based on the above, the Authority notes that:

- a. The market share of the domestic industry was low in 2020-21 as the plant of the domestic industry was shut due to unavailability of raw material. The market share of subject country and other countries was high during the period.
- b. The market share of the domestic industry increased in 2021-22, declined from April 2022 to June 2023 and steeply declined in the POI.

- c. The market share of the dumped imports from the subject country declined in 2021-22, increased in April 2022 to June 2023 and then increased sharply in the POI.
- d. The market share of the other countries has declined after 2021-22.
- e. The domestic industry has submitted that consumers who had entered into contract had ultimately fulfilled their requirements through imports from the subject country, even after placing firm purchase orders on the domestic industry.

c. Inventories

67. Information with regard to inventory is given below.

Table - 9

S. No.	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	Apr 22 to Jun 23 (A)	POI
1	Opening inventory	MT	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	179	205	188
3	Closing inventory	MT	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	115	104	126
5	Average inventory	%	***	***	***	***
6	Trend	Indexed	100	138	141	148

68. It is noted that the average inventory with domestic industry has consistently increased over the injury period.

d. Profitability, cash profits and return on capital employed

69. Profitability, return on capital employed (ROCE) and cash profits of the domestic industry over the injury period are given in the table below:

Table – 10

S. No.	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	Apr 22 to Jun 23 (A)	POI
1	Profit/(Loss)	₹ Lakh	***	***	***	***
2	Trend	Index	-100	230	777	170
3	PBIT	₹ Lakh	***	***	***	***
4	Trend	Index	-100	244	805	178
5	Cash profit	₹ Lakh	***	***	***	***
6	Trend	Index	-100	7,627	24,055	4,720
7	ROCE	%	***	***	***	***
8	Trend	Index	-100	245	694	217

70. Based on the above, the Authority notes that:

- a. The domestic industry was in losses in the base year. It has been contended that their loss was due to unavailability of raw materials.
- b. The performance of the domestic industry improved in the year 2022-23, and the domestic industry posted profits. However, as recorded by the Authority in the previous investigation, the level of profits earned by the domestic industry were low.
- c. The domestic industry's profitability increased in the period April 2022 to June 2023. The profitability however declined sharply again in the POI.
- d. The cash profit and profit before interest & taxes (PBIT) increased till the period April 2022 to June 2023 but declined in the POI.
- e. The return on capital employed (ROCE) has followed the trends of profit before interest & taxes (PBIT). The ROCE earned by the domestic industry was quite low in the POI.

e. Employment, productivity and wages

71. Employment, productivity and wages of domestic industry over the injury period is given in the table below.

Table - 11

S. No.	Particulars	UoM	2020-21	2021-22	Apr 22 to Jun 23 (A)	POI
1	Number of employees	Nos.	***	***	***	***
2	Trend	Indexed	100	98	91	79
3	Productivity per employee	MT/Nos.	***	***	***	***
4	Trend	Indexed	100	128	147	74
5	Productivity per day	MT/Days	***	***	***	***
6	Trend	Nos.	100	125	133	58
7	Wages	₹ Lakh	***	***	***	***
8	Trend	Indexed	100	91	80	38

72. Based on the above, the Authority notes that:

- Number of employees and wages paid by the domestic industry has consistently declined over the injury period.
- Productivity per employee and productivity per day increased from April 2022 to June 2023 but declined in the POI.

f. Growth

73. The following table shows the growth parameters of the domestic industry over the injury period.

Table - 12

S. No.	Particulars	UoM	2021-22	Apr 22 to Jun 23 (A)	POI
1	Capacity	%	0	0	0
2	Production ~ PUC	%	25	7	-56
3	Domestic sales	%	29	8	-57
4	Profit/(Loss)	%	-230	421	-90
5	PBIT	%	-244	390	-89
6	Cash profit	%	-7,627	218	-81
7	ROCE	%	-245	309	-80

74. It is seen that all the parameters showed a positive growth till April 2022 to June 2023, but have shown a significant negative growth in both volume and price parameters in the POI. Production and domestic sales of the domestic industry have declined in the POI. Price parameters, including profit, cash profit, PBIT and ROCE of the domestic industry have also recorded a significant decline in the POI.

g. Ability to raise capital investment

75. The Authority notes that the profitability of the domestic industry has steeply declined in the period of investigation. The Authority notes the contention of the domestic industry that current ROCE in the product will not feed interest obligations and therefore, the ability to raise capital investment is impacted. The Authority also notes that the current capacities of the domestic industry is broadly

sufficient to cater to the present and potential demand for the product in the country, even after excluding capacities required for production of other products.

h. Factors affecting prices

76. The Authority notes that the landed price of subject imports is below the selling price and cost of sales of the domestic industry over the injury period. While anti-dumping duty in place on the PUC till 2022-23 allowed the domestic industry to maintain sufficient market share and desired prices despite low priced subject imports, once the duty expired in the POI, the domestic industry has been suffering in all price parameters examined above. Thus, the subject imports have adversely impacted the domestic prices in India.

i. Magnitude of dumping

77. The magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped into India. The investigation has shown that the dumping margin is positive and significant during the POI.

G. NON-ATTRIBUTION AND CAUSAL LINK

78. As per the Rules, it is, *inter alia*, required to be examined any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries

79. The Authority notes that there are imports above the de-minimis limit from United States of America (USA). It is seen on an average basis that the import price from USA is below the import price from China PR. The Authority has examined the DGCI&S transaction wise import data and found that while imports from USA are only in bulk form, imports from China PR are in both bulk and packed form. The Authority has considered bulk and packed as separate PCN. A comparison between bulk form from China PR and from USA shows the import price from USA is far higher.
80. It is also seen that imports from USA are not consistent in volume and have shown a steep decline over the injury period. Therefore, these imports cannot be a cause of injury to the domestic industry.

b. Contraction of demand and/or changes in the pattern of consumption

81. The demand in India declined in 2021-22. The demand however increased thereafter and till the POI. The imports from the subject country have increased sharply over this period. Therefore, the decline in demand cannot be a cause of injury.

c. Trade restrictive practices

82. The sales of the PUC are not restricted in any manner and no restrictive practices have been brought to the notice of the Authority.

d. Developments in technology

83. The Authority notes that there has been no known material change in the technology for the production of the PUC.

e. Productivity

84. The productivity per day, productivity per employee and salaries & wages of the domestic industry have declined in the POI in comparison to the immediately preceding year and the year 2020-21 specifically because of dumped imports from the subject country.

f. Export performance

85. The Authority notes that the domestic industry has exported a significantly small share of its production in the POI. However, the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of the domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry

g. Performance of other products

86. The Authority has considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, the performance of other products produced and sold is not a possible cause of injury to the domestic industry.

h. Causal link between dumping and injury

87. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that:
- a. The imports from the subject country are at dumped prices, and the dumping margin is significant.
 - b. While the cost of sales has increased, the landed price of subject goods from subject country has declined.
 - c. The dumped imports are below the selling price and cost of the domestic industry and have significantly undercut the prices of the domestic industry.
 - d. The low-priced imports have increased sharply and have captured the market share of the domestic industry. The market share of the domestic industry has declined. Decline in market share of the domestic industry is considered as a result of increase in the volume of dumped imports in the country.
 - e. As the market share declined, the domestic industry lost significant sales volume. The domestic industry lost sales volume despite increases in the demand for the product in the country.
 - f. Reduction in domestic sales suffered by the domestic industry due to dumped imports led to decline in production and capacity utilisation of the domestic industry.
 - g. As the volume of imports increased significantly, the stocks with the domestic industry increased.
 - h. It is noted that volume of imports from subject country increased significantly from 2021-22 to the POI, and it has adversely impacted the operating performance of the domestic industry during that period.

H. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

88. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating the injury margin. In the absence of cooperation from any producers/exporters from China PR, the landed price has been determined based on the facts available.
89. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return

(pre-tax 22%) on average capital employed (*i.e.*, *average net fixed assets plus average working capital*) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

90. Based on the landed price and NIP determined as above, the injury margin for POI has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Table - 13
Injury Margin

Particulars	NIP US\$/MT	Landed Value US\$/MT	Injury Margin		
			US\$/MT	%	Range
Any Producer	***	***	***	***	10-20

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

I.1 Submission by the other interested party

91. The other interested party has not made any submission with regard to Indian industry interest.

I.2 Submission by the domestic industry

92. The domestic industry has made the following submissions:
- The PUC is majorly used in the manufacturing of glyphosate and atenolol. The impact of duty on the products is 1.09% and 0.08% respectively.
 - The installed capacity of the domestic industry is more than enough to meet the overall demand in India. The Indian industry is totally Atmanirbhar in this product and the users have no need to import.
 - The Authority *vide* final findings dated 20th December 2022 in the matter of sunset review investigation of anti-dumping duty on the imports of Monoisopropylamine originating in or exported from China PR had examined the impact of anti-dumping duty on the end consumer which was found to be around 1.5% to 2% for Atrazine, 0.09% for Glyphosate and 0.08% for Atenolol.
 - The price of the product was higher in the past. Even after adding the anti-dumping duty to the import price during the POI, the past price remains higher. Since such high landed prices from the subject country had no impact earlier, the imposition of anti-dumping duty now should also not have any adverse impact.
 - The PUC is used in the making of Atrazine, which is already protected by anti-subsidy duty on it.
 - Entire domestic requirement is indigenously procured. If the domestic industry is to produce to the capacity of demand in India, it is likely to increase the demand for domestically produced isopropyl alcohol by atleast *** MT which will constitute 3% of IPA production in India. Therefore, imposition of anti-dumping duty on MIPA will also benefit the upstream industry.
 - The import value of the PUC over the injury period has been more than ₹ 120 crore. In the POI alone, the import value of the PUC amounted to ₹ 63 crore out of which ₹ 60 crore was imported from the subject country.
 - Considering the fact that the respondent is a user of the subject good, the absence of any concerns at least with regards to the impact of anti-dumping duty on them is a clear indication that the user is not affected by the imposition of anti-dumping in any way.
 - Barring the subject country, significant quantity is being imported from the USA which shows that there are other sources of supply. Therefore, the above shows that the anti-dumping duty will not lead to any monopoly for the domestic industry.

I.3 Examination by the Authority

93. The Authority considered whether imposition of the recommended anti-dumping duty will be against public interest. This determination is based on consideration of information on records and interests of the participating interested parties.
94. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present review investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of the anti-dumping duty on the consumers, the factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the continuation of the anti-dumping duty.
95. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority notes that the imposition of the anti-dumping duties might affect the price levels of the PUC as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the imposition of anti-dumping measures would prevent the decline in the performance parameters of the domestic industry caused as a consequence of low-priced imports from the subject country and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the PUC.
96. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire (EIQ) which was sent to all interested parties in this investigation. Only the domestic industry has responded to the EIQ. No other participating party has claimed or presented any evidence to indicate the adverse effect of the duties in force. This lack of evidence and silence of the other stakeholders reinforces the necessity of anti-dumping measures to ensure fair trade practices.
97. The Authority has examined the likely impact of the anti-dumping duty on MIPA on downstream products. The share of the PUC in per unit production of Glyphosate 41% and Atrazine (50 %) Technical are 0.2 KG and 0.4 KG, respectively. The price impact is below 2% in both cases.
98. The Authority further notes that the imposition of anti-dumping duty will not lead to scarcity of the subject goods in India. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports but also ensures that imports are available at fair prices. The imposition of duty would, therefore, not affect the availability of the product. In any case, the capacity of the domestic industry is more than the demand in India, thereby ensuring sufficient supply in the country. There are various other countries as well supplying the PUC in the Indian market and also another producer, M/s Balaji Amies has started commercial production post the POI.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

J.1 Submission by the other interested party

99. Following post disclosure submissions have been made by the other interested parties.
- a) The respondent had raised a preliminary jurisdictional issue concerning the treatment of the “previous year” as a non-financial year, and had reserved its right to make submissions issues only after the said jurisdictional objection was conclusively decided by the Authority. However, the Authority has issued disclosure statement and in one paragraph overruled jurisdictional issue without even providing justification.
 - b) Hon’ble Supreme Court in A.K. Kraipak v. Union of India has held that administrative actions affecting rights are subject to the rules of natural justice. In Maneka Gandhi v. Union of India [(1978) 1 SCC 248], it has been held that any procedure affecting rights must be

fair, just and reasonable. In the present case, the failure of the Designated Authority to render a reasoned decision on the preliminary jurisdictional issue has deprived of the opportunity to effectively participate in the investigation.

- c) The immediate preceding year is not a financial year. Authority's acceptance of the period of investigation has lead to a situation where the phrase "there can be overlap" provided in the trade notice has becomes wholly redundant.
- d) If anti-dumping duties are imposed on certain countries, such duties must also apply to all other countries causing similar dumping and injury, Ignoring USA violates this essential principle and undermines the legitimacy of the investigation
- e) The failure of the Authority to include imports from USA from the scope of investigation, or examine and segregate their injurious effects, has resulted in a distorted and incomplete assessment of injury, which does not reflect market realities.
- f) Injury margin and dumping margin from USA is positive and therefore, non-inclusion of USA in the scope of the product under consideration vitiates the injury analysis and causal link analysis.

J.2 Submission by the domestic industry

100. Following post disclosure submissions have been made by the domestic industry:

- a) Authority has significantly reduced the non-injurious price claimed by the domestic industry. No reason has been provided to the domestic industry. The domestic industry is therefore completely handicapped in offering its comments.
- b) Authority has not considered the submission of the domestic industry that there was no production of the product under consideration in the months of [Mar-24 and May-24] with almost negligible production in [Dec-23]. The suspension of the production of the domestic industry shows the real injury suffered by the domestic industry.
- c) A duty for a period of 5 years is of utmost necessity since a shorter duration would not allow the domestic industry sufficient time to recover from the significant injury caused by the dumped imports.
- d) Even if users prefer to continue sourcing from Chinese market, imposition of anti-dumping duties would not prevent them from doing so. The primary purpose of anti-dumping measures is to establish a level playing field in the market, ensuring fair competition.
- e) Even when anti-dumping duty is added to the import price of the period of investigation, the price in past is higher. When such high landed prices from the subject country did not have any impact, the imposition of anti-dumping duty should also not have any adverse impact.
- f) A fixed form of duty is appropriate because the price of the product has moved significantly over the past few years. any other form of duty other than a fixed form of duty will not address the injury to the domestic industry.

J.3 Examination by the Authority

101. On the comments of the domestic industry on computation of the non-injurious price, the calculation has been undertaken as per the Annexure III of the anti-dumping rules. The component wise non-injurious price was disclosed to the domestic industry as per the consistent practice of the Authority.
102. On the submission of the participating interested party that principles of natural justice have been violated, it is noted that both the period of investigation as well as the injury period were clearly specified in the initiation notification itself. The interested parties were provided with adequate opportunity and sufficient time to make submissions on all aspects of the investigation, including the appropriateness of the period considered. It is also noted that two oral hearings were conducted during the course of the investigation. Therefore, the submission that it violates the principles of natural justice is incorrect. Further, during the oral hearing, the interested party had submitted that it would demonstrate, how the selection of the period of investigation was inappropriate. However, no submissions were filed in any of the written submissions establishing how the selected period of investigation was inappropriate or prejudicial. Even in its comments, the interested party has not demonstrated how the injury period selected was inappropriate.

103. As regards the submission that no reasoning has been provided for the selection of the injury period, it is noted that the disclosure statement contains a detailed justification for considering the present injury period. The interested party has failed to establish how the selected injury period is inappropriate or inconsistent with the practice. The injury period adopted in the present investigation is in line with the consistent and established practice of the Authority.
104. With respect to the submission that the injurious effects of imports from the USA were required to have been segregated and that it has resulted in a distorted injury analysis, it is noted that this issue has already been examined in detail in the causal link analysis contained in the disclosure statement. It has been observed that imports from the USA are neither consistent nor significant in volume and have shown a steep decline over the injury period. A PCN-wise comparison of import prices demonstrates that imports from the USA are priced significantly higher than the import prices from China. Imports from China are priced substantially lower and are undercutting the prices of the domestic industry as well as imports from other sources. The contention of the interested parties that a non-attribution analysis with respect to imports from the USA has not been carried out is incorrect. The Authority finds that imports from the USA cannot be considered a cause of injury to the domestic industry. It is also noted that the domestic industry itself did not include the USA as a subject country in its application or has claimed injury from these countries. The anti-dumping rules do not prohibit the Authority from excluding a country with a market share exceeding 3% from the scope of the subject countries, where circumstances so warrant.

K. CONCLUSION

105. Having regard to the contentions raised, information provided, and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and based on above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
- a) The PUC is 'Monoisopropylamine', also known as 'MIPA'.
 - b) The product is sold in two different forms of packaging - Bulk and Packed. Separate PCN has been considered for fair comparison between the two types of the product in order to ensure fair determination of dumping margin and injury margin.
 - c) The PUC is imported under Chapter 29, under the sub-heading 2921 11 90, 2921 19 90 and 2921 19 20 of Customs Tariff Act, 1975. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the PUC.
 - d) The article manufactured by the domestic industry and the subject goods exported from the subject country are like article to each other in terms of Rule 2 (d) of the anti-dumping rules.
 - e) The applicant accounts for 100% of the eligible domestic production in the investigation period.
 - f) The applicant satisfies the requirements stipulated under Rule 2 (b) of the Rules and the application satisfies the standing requirements under Rule 5(3) of the Rules.
 - g) The application contained all information relevant for the purpose of initiation of the anti-dumping investigation and necessary evidence in terms of Rule 5(2) of the Anti-Dumping Rules to justify the initiation of the present investigation for determination of dumping and material injury to the domestic industry in terms of Rule 5 (3) of the Anti-Dumping Rules.
 - h) Chinese producers have been considered as operating in a non-market economy country since none of the producers/exporters from China PR have participated in this investigation to rebut this presumption as mentioned in para 8 of Annexure – I of the Rules.
 - i) The normal value has been calculated based on optimized cost of production of the domestic industry with a reasonable addition of selling, general and administrative expenses and profits.

- j) In the absence of cooperation from any producers/exporters from China PR, the Authority has determined the net export price on the basis of DGCI&S data. Since this data is on CIF terms, adequate adjustments have been made to arrive at ex-factory level.
- k) Comparison of normal value with export price shows that there is significant dumping of the product in the country.
- l) It is seen that the dumping margin is in the range of 35-45%.
- m) The volume of imports has increased sharply in the period of investigation. The imports increased sharply in absolute and relative terms.
- n) The domestic industry has suffered both price suppression and depression in the period of investigation as compared to preceding year.
- o) The production, capacity utilisation and domestic sales of the domestic industry declined steeply in the period of investigation.
- p) The inventory with the domestic industry has increased over the injury period.
- q) The profitability of the domestic industry has declined steeply in the period of investigation.
- r) The market share of the subject imports has increased whereas that of the domestic industry has declined over the injury period.
- s) The domestic industry has recorded a significant negative growth in a number of the economic parameters.
- t) The investigation has not shown any factor other than dumped imports which could have caused injury to the domestic industry
- u) Landed price of imports is materially below the non-injurious price of the domestic industry. The injury margin is in the range of 10-20%.
- v) There is demand and supply gap in the country. The capacity with the domestic industry is more than the demand in the country.
- w) Information on record shows that other producer has commenced production of the domestic like product.
- x) The Authority has also examined the likely impact of the anti-dumping duty on MIPA on downstream products. The share of the PUC in per unit production of Glyphosate 41% and Atrazine (50 %) Technical are 0.2 KG and 0.4 KG, respectively. The price impact is below 2% in both cases.
- y) The impact of anti-dumping duties on the eventual end consumers is insignificant.

L. RECOMMENDATIONS

106. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, known exporters, known importers, and other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury, causal link and impact of recommended measures. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury, and causal link in terms of provisions laid down under the anti-dumping rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset the dumping and injury. The Authority considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.
107. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends the imposition of an anti-dumping duty equal to the lesser margin of dumping and the margin of injury, to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country for a period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Col. 7 of the duty table appended below.

Duty Table

S. No.	HS Code#	Description of the goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29211190, 29211990 and 29211920	Monoisopropylamine	China PR	Any Country including China PR	Any producer	290	MT	USD
2	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any producer	290	MT	USD

- The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

M. FURTHER PROCURE

108. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

AMITABH KUMAR, Designated Authority